रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 1, 2015/फाल्गुन 10, 1936
No. 120] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 1, 2015/PHALGUNA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 6/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 128(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अन्तर्गत आने वाले सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 103 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 6/2015-Customs

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by section 103 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998), read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts motor spirit commonly known as petrol, falling under heading 2710 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the additional duty of customs leviable thereon under section 103 read with the Second Schedule to the said Finance (No. 2)Act, 1998, as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees six per litre.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 7/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आने वाले हाई स्पीड डीजल तेल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 116 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 7/2015-Customs

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by section 116 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999), read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts high speed diesel oil, falling under heading 2710 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the additional duty of customs leviable thereon under section 116 read with the Second Schedule to the said Finance Act, 1999, as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees six per litre.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 8/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं. 153(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 24घ के स्तंभ (4) में प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" रखी जाएगी।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2011- सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का. नि. सं.153 (अ) तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2014-सीमाशुल्क, 11 जुलाई, 2014 द्वारा, सा.का. नि. सं. 462(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 8/2015-Customs

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :—

In the said notification, in the Table, against S.No. 24D, in column (4), for the entry "5%", the entry "2.5%" shall be substituted;

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 153(E) dated the 1st March, 2011 and was last amended *vide* notification No.15/2014-Customs, dated the 11th July, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 462(E) dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 9/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 131(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 94 तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 139 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख
(1)	(2)
1.	13/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 [सा.का.नि. 186(अ), तारीख 17 मार्च, 2012]
2.	14/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 [सा.का.नि. 187(अ), तारीख 17 मार्च, 2012]

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 9/2015-Customs

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sections 91 and 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004) and sections 136 and 139 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), as specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:—

TABLE

Serial number	Notification number and date
(1)	(2)
1.	13/2012- Customs, dated the 17th March, 2012 [G.S.R. 186(E), dated the 17th March, 2012]
2.	14/2012- Customs, dated the 17th March, 2012 [G.S.R. 187(E), dated the 17th March, 2012]

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 10/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) सारणी में,—

(i) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"113क.	2528	यूलेक्साइट अयस्क	कुछ नहीं	-	-" ;

(ii) क्रम सं. 125 के सामने, स्तंभ (4) में, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 142ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"142ग.	2711 13 00	बुटेन	2.5%	-	-" ;

(iv) क्रम सं. 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"157क.	2807 00 10	उर्वरकों के विनिर्माण के लिए सल्फयूरिक अम्ल	5%	-	-" ;

(v) क्रम सं. 173घ के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं. 175 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "2%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं. 177 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "2%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं. 178 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "2%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"181क.	2914 61 00	ऐन्थ्राक्विनोन	2.5%	-	-
181ख	2916 12 10	बुटिल ऐक्रिलेट	5%	-	-" ;

(x) क्रम सं. 247 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"247क.	3919 90 90	शीर्ष 8544 (उपशीर्ष 8544 11 के सिवाय) अधीन आने वाली विद्युतरोधी तारों और केबलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए जल रोकने वाली टेप	7.5%	-	5
247ख	4002 70 00	शीर्ष 8544 (उपशीर्ष 8544 11 के सिवाय) अधीन आने वाली विद्युतरोधी तारों और केबलों के विनिर्माण के लिए ईथाइलीन - प्रोपेलीन - गैर-संयोजी डाइ-ईन रबड	7.5%	-	5
247ग	6814 90 90	शीर्ष 8544 (सिवाय उपशीर्ष 8544 11 के) अधीन आने वाली विद्युतरोधी तारों और केबलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए अभ्रक ग्लास टेप	7.5%	-	5

(xi) क्रम सं. 329 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"329क.	72	सभी माल	10%	-	-" ;

(xii) क्रम सं. 334 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"334क.	73	सभी माल	10%	-	-
334ख	7325	शीर्ष 8546 के अधीन आने वाले विद्युतरोधी के विनिर्माण में उपयोग के लिए धात्विक पुर्जे	7.5%	-	5" ;

(xiii) क्रम सं. 344 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"344क.	8110 10 00, 8110 20 00	सभी माल	2.5%	-	-" ;

(xiv) क्रम सं. 371 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"371क.	2825 60 20	उत्प्रेरक परिवर्तित्र के लिए भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीरिया जर्कोनिया यौगिक	5%	-	5 ;
"371ख.	2846 10 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र के लिए भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीरियम यौगिक	5%	-	5 ;
"371ग.	3824 90 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र के लिए भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए जियोलाइट	5%	-	5" ;

(xv) क्रम सं. 394 के सामने, स्तंभ (5) में "कुछ नहीं" प्रविष्टि के स्थान पर "-" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं. 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"399क.	8414 90 11	टैरिफ मद 8414 30 00 के अधीन आने वाले प्रशीतित्र संपीडित्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:— (i) सी – ब्लॉक संपीडित्र ; (ii) क्रेंकसाफ्ट	5%	-	-
"399ख.	8536 20 90	टैरिफ मद 8414 30 00 के अधीन आने वाले प्रशीतित्र संपीडित्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए अति भार रक्षी (अ.भा.र.) और पाजिटिव थर्मल कोफिसिएंट	5%	-	-
"399ग.	8419	सौर जल तापक और प्रणाली के विनिर्माण में उपयोग के लिए तीन परतों वाली सौर चयनित विलेप सहित निवार्तित नलियां	कुछ नहीं	-	5" ;

(xvii) क्रम सं. 406क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"406ख.	8483 40 00	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए बाल पेंच	2.5%	-	5;
"406ग.	8466 93 90	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिनियर मोशन गाइड	2.5%	-	5%
"406घ.	8537 10 00	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी प्रणालियां	2.5%	-	5" ;

(xviii) क्रम सं. 407 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"407क.	84 या कोई अन्य अध्याय	(क) टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, संघटक या उपसाधन । (ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	5 5" ;

(xix) क्रम सं. 408 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "8472 90 या 8473 40" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xx) क्रम सं. 424 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"424क.	8504	नवीकरणीय विद्युत प्रणाली (न.वि.प्र.) इन्वर्टरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सक्रिय ऊर्जा नियंत्रक (स.ऊ.नि.)	5%	-	46" ;

(xxi) क्रम सं. 428 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"428क.	8525 80 20	अधिकतम भंडारण क्षमता (जिसके अंतर्गत उनका विस्तार भी है) का उपयोग करते हुए एकल क्रम में कम से कम तीस मिनट के लिए न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सेंकड पर 800 x 600 पिक्सल के न्यूनतम रेजोल्यूशन के साथ अभिलेखन में सक्षम अंकीय स्थिर छवि वीडियो कैमरे	कुछ नहीं	-	-" ;

(xxii) क्रम सं. 429 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं. 432 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "एलसीडी (द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श), एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) या ओएलईडी (कार्बनिक एलईडी) टीवी पैनल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्रम सं. 432ख के सामने स्तंभ (3) में "मद (xi) के पश्चात् मद "(xii) श्याम प्रकाश यूनिट मॉड्यूल" अंतःस्थापित की जाएगी ;

(xxv) क्रम सं. 433 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) क्रम सं. 436 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"436क.	8702 या 8704	मोटर यान : (क) पूर्व संयोजन स्थिति के बिना इंजन, गियर बाक्स और पारेषण तंत्र सहित संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए सभी आवश्यक संघटक, पुर्जे या उप साधन अंतर्विष्ट करते हुए यदि पूर्णतया नोकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में आयात किया जाता है (ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न किसी रूप में	10% 20%	- -	- -
436ख	8702	वैद्युत प्रचालित यान, चाहे पूर्व संयोजन स्थिति के बिना, इंजन, गियर बाक्स और पारेषण तंत्र सहित संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए सभी आवश्यक संघटक, पुर्जे या उप साधन अंतर्विष्ट करते हुए यदि पूर्णतया नोकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में या उसके बिना आयात किया जाता है	10%	-	-" ;

(xxvii) क्रम सं. 474 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"474क.	90 या कोई अन्य अध्याय	नम्य चिकित्सा वीडियो एंडोस्कोप (शीर्ष 9018) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :— (i) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी ; (ii) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी के मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड ;	2.5%	-	5" ;

		(iii) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी के आब्जेक्टिव लेंस ; (iv) लाइट गाइड/इमेज गाइड प्रकाशिक फाइबर बंडल ; (v) पराध्वनिक ट्रंसडयूसर ; (vi) पराध्वनिक ट्रंसडयूसर के मुख्य मुद्रित परिपथ बोर्ड ;			

(xxviii) क्रम सं. 480 के सामने,

(i) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) क्रम सं. 488 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"488क.	90 या कोई अन्य अध्याय	गति प्रेरको (टैरिफ मद 9021 50 00) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल अर्थात्:- (i) बैटरी ; (ii) टाइटेनियम ; (iii) प्लाडियम तार ; (iv) यूटेक्टिक तार ; (v) सिलिकन रेजिन या सिलिकन रबड़ ; (vi) सोल्डर पेस्ट ; (vii) रिड स्विच ; (viii) डायोड ; (ix) ट्रंजिस्टर ; (x) धारित्र ; (xi) नियंत्रक ; (xii) कुडली (इस्पात) ; (xiii) टयूबिंग (सिलिकान) ।	-	कुछ नहीं	5" ;

(ख) सारणी के पश्चात् परंतुक में,--

(i) खंड (छ) में "31 मार्च, 2015" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) में "31 मार्च, 2015" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपाबंध में,--

(i) शर्त सं. 10 में, "शर्त" शीर्ष के अधीन "प्ररुप" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररुप

..... का (वर्ष)..... प्रमाणपत्र सं.

प्रमाणित किया जाता है कि औषधि/औषध (औषध/औषधि का नाम) जिसका द्वारा आयात किया जा रहा है, एक जीवन रक्षक औषध/औषधि है और सीमाशुल्क के संदाय से छूट की सिफारिश की जाती है ।

यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक या अधिक आयातों के लिए विधिमान्य रहेगा ।

महानिदेशक / उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली या निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के तारीख सहित हस्ताक्षर ।" ।

(ii) शर्त सं. 93 में, "शर्त" शीर्ष के अधीन खंड (ii) के उपखंड (क) में, "छत्तीस मास या अधिक की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "छियासठ मास की अवधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) सूची 5 में, मद (11) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(11) नायलान-12/इथर इस्टर एलस्टोमर/उच्च धनत्व पालिईथाइलीन (उधपा)"

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/2015-सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 14(अ), तारीख 7 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 10/2015-Customs

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R.185(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification,—

(A) in the Table,-

(i) after S.No. 113 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"113A.	2528	Ulexite Ore	Nil	-	-";

(ii) against S.No. 125, for the entry in column (4), the entry " 5%" shall be substituted;

(iii) after S.No. 142B and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—

"142C.	2711 13 00	Butanes	2.5%	-	-";

(iv) after S.No. 157 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"157A.	2807 00 10	Sulphuric acid for the manufacture of fertilizers	5%	-	-";

(v) against S.No. 173D, for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be substituted;

(vi) against S.No. 175, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;

(vii) against S.No. 177, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;

(viii) against S.No. 178, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;

(ix) after S.No. 181 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

"181A.	2914 61 00	Anthraquinone	2.5%	-	-
181B.	2916 12 10	Butyl acrylate	5%	-	-";

(x) after S. No. 247 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"247A.	3919 90 90	Water blocking tape for use in the manufacture of insulated wires and cables falling under heading 8544 (except sub-heading 8544 11)	7.5%	-	5
247B.	4002 70 00	Ethylene – propylene – non-conjugated diene rubber (EPDM) for use in the manufacture of insulated wires and cables falling under heading 8544 (except sub-heading 8544 11)	7.5%	-	5
247C.	6814 90 90	Mica glass tape for use in the manufacture of insulated wires and cables falling under heading 8544 (except sub-heading 8544 11)	7.5%	-	5";

(xi) after S.No. 329 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

"329A.	72	All goods	10%	-	-";

(xii) after S.No. 334 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

" 334A.	73	All goods	10%	-	-
334B.	7325	Metal parts for use in the manufacture of electrical insulators falling under heading 8546	7.5%	-	5";

(xiii) after S.No. 344 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"344A.	8110 10 00, 8110 20 00	All goods	2.5%	-	-";

(xiv) after S.No. 371 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

"371A.	2825 60 20	Ceria zirconia compounds for use in the manufacture of washcoat for catalytic converters	5%	-	5
371B.	2846 10 90	Cerium compounds for use in the manufacture of washcoat for catalytic converters	5%	-	5
371C.	3824 90 90	Zeolite for use in the manufacture of washcoat for catalytic converters	5%	-	5";

(xv) against S. No. 394, in column (5) for the entry "Nil", the entry "-" shall be substituted;

(xvi) after S.No. 399 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"399A.	8414 90 11	The following goods for use in the manufacture of refrigerator compressor falling under tariff item 8414 30 00, namely:— (i) C-Block compressor; (ii) Crankshafts.	5%	-	-
399B.	8536 20 90	Over Load Protector (OLP) and positive thermal coefficient for use in the manufacture of refrigerator compressor falling under tariff item 8414 30 00	5%	-	-
399C.	8419	Evacuated tubes with three layers of solar selective coating for use in the manufacture of solar water heater and system	Nil	-	5";

(xvii) after S.No. 406A and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

"406B.	8483 40 00	Ball screws for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff item 8458 11 00, 8458 91 00) or Machining Centres (tariff item 8457 10 10, 8457 10 20)	2.5%	-	5
406C.	8466 93 90	Linear Motion Guides for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff item 8458 11 00, 8458 91 00) or Machining Centres (tariff item 8457 10 10, 8457 10 20)	2.5%	-	5
406D.	8537 10 00	CNC Systems for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff item 8458 11 00, 8458 91 00) or Machining Centres (tariff item 8457 10 10, 8457 10 20)	2.5%	-	5";

(xviii) after S.No 407 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"407A.	84 or any other	(a) Parts, components or accessories for use in the manufacture of tablet computer.	Nil	Nil	5

	Chapter	(b) Sub-parts for use in the manufacture of items mentioned at (a) above.	Nil	Nil	5”;

(xix) against S.No. 408, for the entry in column (2), the entries “8472 90 or 8473 40” shall be substituted.

(xx) after S.No. 424 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

“424A.	8504	Active Energy Controller (AEC) for use in manufacture of Renewable Power System (RPS) inverters	5%	-	46”;

(xxi) after S.No. 428 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

“428A.	8525 80 20	Digital Still Image Video Cameras capable of recording video with minimum resolution of 800 x 600 pixels, at minimum 23 frames per second, for at least 30 minutes in a single sequence, using the maximum storage (including the expanded) capacity.	Nil	-	-”;

(xxii) against S.No. 429, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

(xxiii) against S.No. 432, for the entry in column (3), the entry “LCD (Liquid crystal display), LED (Light Emitting Diode) or OLED (Organic LED) TV panels,” shall be substituted;

(xxiv) against S.No. 432B, in column (3), after item (xi), item “(xii) Black Light Unit Module” shall be inserted;

(xxv) against S.No. 433, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

(xxvi) after S.No. 436 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

“436A.	8702 or 8704	Motor vehicles: (a) If imported as a Completely Knocked Down (CKD) kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle with engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition; (b) in a form other than (a) above	10% 20%	- -	- -
436B.	8702	Electrically operated vehicles whether imported in a Completely Knocked Down (CKD) kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete kit with engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition or not.	10%	-	-”;

(xxvii) after S.No. 474 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"474A.	90 or any other Chapter	The following goods for use in the manufacture of Flexible Medical Video Endoscope (heading 9018), namely:- (i). CCD/CMOS Camera Sensor; (ii). Main printed circuit board of CCD/CMOS Camera Sensor; (iii). Objective Lens for CCD/CMOS Camera Sensor; (iv). Light Guide/Image Guide optical fiber bundle; (v). Ultrasound Transducer; (vi). Main printed circuit board of Ultrasound Transducer.	2.5%	-	5";

(xxviii) against S.No. 480,-

(i) for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (5), the entry "Nil" shall be substituted;

(xxix) after S.No. 488 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

"488A.	90 or any other Chapter	The following goods for use in the manufacture of pacemakers (tariff item 9021 50 00), namely:- (i) Battery; (ii) Titanium; (iii) Palladium wire; (iv) Eutectic Wire ; (v) Silicone Resins and Silicone Rubbers; (vi) Solder Paste; (vii) Reed Switch; (viii) Diodes; (ix) Transistors; (x) Capacitors; (xi) Controllers; (xii) Coils(steel) ; (xiii) Tubing (silicone).	-	Nil	5";

(B) after the Table, in the proviso,—

(i) in clause (g), for the figures, letters and words "31st day of March, 2015", the figures, letters and words "1st day of April, 2016" shall be substituted;

(ii) in clause (h), for the figures, letters and words "31st day of March, 2015", the figures, letters and words "1st day of April, 2016" shall be substituted;

(C) in the ANNEXURE,-

(i) in Condition No. 10, under heading "Conditions", for the "Form", the following "Form" shall be substituted, namely:—

"Form

Certificate No....……. of …...…….. (year)

Certified that the drug / medicine…….(name of the drug / medicine) being imported by ……..... is a life saving drug / medicine and exemption from the payment of customs duty is recommended.

This certificate shall be valid for one or more imports within the period of one year from the date of its issue.

Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.".

(ii) in Condition No. 93, under heading "Conditions", in sub-clause (a) of clause (ii), for the words "a term of thirty six months or more", the words "a term of sixty six months" shall be substituted;

(D) in List 5, for item (11), the following item shall be substituted, namely:-

"(11) Nylon-12 / Ether Ester Elastomer / High Density Polyethylene (HDPE)" .

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended by notification No, 03/2015-Customs, dated the 7th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide,* number G.S.R 14(E), dated the 7th January, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 11/2015-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(क) क्रम सं. 14ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"14घ	कोई अध्याय	निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित सभी माल [प्रचलित मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के सिवाय] अर्थात् :— (i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/1998-सीमाशुल्क, तारीख	शून्य

		2 जून, 1998 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 68 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; (ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 38 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; (iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 123 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 32 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं. 5 के अधीन होगी।	
14ङ	90 या कोई अन्य अध्याय	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 की सारणी के क्रम सं. 488क के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं. 488क के अधीन ऐसे माल की बाबत विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होगी।	शून्य
14च	कोई अध्याय	एलईडी प्रकाश और फिक्सचर या एलईडी लैम्प के लिए एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) ड्राइवर या धा.को.मु.स.बो. (धातु कोर मुद्रित सर्किट बोर्ड) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी निवेश : परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं. 5 के अधीन होगी।	शून्य

(ख) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"45क	2710	नैपथा : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।	मूल्यानुसार 2%
45ख	2902 50 00	स्टाइरीन : परंतु यह कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।	मूल्यानुसार 2%
45ग	2903 15 00	एथेलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी) : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।	मूल्यानुसार 2%

45घ	2903 21 00	विनाईल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।	मूल्यानुसार 2%";

(ग) क्रम सं. 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"78क	7204	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) लौह या इस्पात के पिघलने वाला स्क्रैप ; (ख) पिघलने के प्रयोजन के लिए जंगरोधी इस्पात स्क्रैप	2%" ;

(घ) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"79क	7404	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) ताम्र स्क्रैप ; (ख) पीतल स्क्रैप	2% ;
79ख	7602	एल्युमिनियम स्क्रैप	2%" ।

(ङ) क्रम सं. 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 21/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 468(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 11/2015-Customs

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 194(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) after S.No. 14C and the entries relating thereto, the following S.Nos. and the entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"14D	Any Chapter	All goods [except populated Printed Circuit Boards (PCBs)] required for use in the manufacture of the following, namely,— (i). All goods specified against S.Nos.1 to 68 of the TABLE to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/1998-Customs, dated the 2nd June, 1998 *vide* number G.S.R.290(E), dated the 2nd June, 1998; (ii). All goods specified against S.Nos. 1 to 38 of the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2005-Customs dated the 1st March, 2005 *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2005; (iii). All goods specified against S.Nos. 1 to 32 of the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2005-Customs dated the 1st March, 2005 *vide* number G.S.R.123(E) dated 1st March, 2005: Provided that the exemptions under this S.No. shall be subject to Condition No. 5 annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R. 185(E) dated the 17th March, 2012.	Nil
14E	90 or any other Chapter	All goods specified against S.No. 488A of the Table to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R.185(E) dated the 17th March, 2012: Provided that the exemption under this S.No. shall be subject to the conditions, if any, specified in respect of such goods under S. No. 488A of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R.185(E) dated the 17th March, 2012.	Nil
14F	Any Chapter	All inputs for use in the manufacture of LED (Light Emitting Diode) driver or MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) for LED lights and fixtures or LED Lamps: Provided that the exemption under this S.No. shall be subject to Condition No. 5 annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R.185(E) dated the 17th March, 2012.	Nil";

(b) after S.No. 45 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"45A	2710	Naphtha: Provided that the importer shall follow the procedure set out in the *Customs (*Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.	*2% ad valorem*

45B	2902 50 00	Styrene: Provided that the importer shall follow the procedure set out in the *Customs (*Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.	*2% ad valorem*
45C	2903 15 00	Ethylene dichloride (EDC): Provided that the importer shall follow the procedure set out in the *Customs (*Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rule, 1996.	*2% ad valorem*
45D	2903 21 00	Vinyl chloride monomer (VCM): Provided that the importer shall follow the procedure set out in the *Customs (*Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.	*2% ad valorem*";

(c) after S.No. 78 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"78A	7204	The following goods, namely:- (a) Melting scrap of iron or steel; (b) Stainless steel scrap, for the purpose of melting	2%";

(d) after S.No. 79 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"79A	7404	The following goods, namely:- (a) Copper scrap; (b) Brass scrap	2%;
79B	7602	Aluminium scrap	2%";

(e) S. No. 83 and the entries relating thereto shall be deleted.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 21/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 194(E), dated the 17th March, 2012 and last amended by notification No. 21/2014-Customs, dated the 11th July, 2014, *vide* number G.S.R. 468(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 27/2015-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 134(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28ङ के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवासी फर्म" को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों से,—

(क) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें भागीदार के रूप में कोई कंपनी न हो; या

(iii) एकल स्वामित्व; या

(iv) एक व्यक्ति वाली कंपनी।

(ख) (i) "एकल स्वामित्व" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो खुद को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के उप- खंड (क) में यथा परिभाषित किसी गतिविधि में संलग्न करता है।

(ii) "एक व्यक्ति वाली कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (62) में उसका है।

(ग) "निवासी" जहां तक वह किसी निवासी फर्म को लागू होता है, का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (42) में है।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 27/2015–Customs (N.T.)

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (c) of section 28E of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies "resident firm" as class of persons for the purposes of the said sub-clause.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(a) "firm" shall have the meaning assigned to it in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) , and includes-

(i) the limited liability partnership as defined in clause (n) of sub-section (1) of the section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009); or

(ii) limited liability partnership which has no company as its partner; or

(iii) the sole proprietorship; or

(iv) One Person Company.

(b) (i) "sole proprietorship" means an individual who engages himself in an activity as defined in sub-clause (a) of section 28E of the Customs Act, 1962.

(ii) "One Person Company" means as defined in clause (62) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(c) "resident" shall have the meaning assigned to it in clause (42) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in so far as it applies to a resident firm.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 5/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 135(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. सं. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) प्रथम पैरा में,--

(क) "जो पैकिंग मशीन की सहायता से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "जो, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) अथवा सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट श्रृंखला में ऐसी अधिकतम पैकिंग गति वाली पैकिंग मशीन की सहायता से, जिस गति से वे ऐसे विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए, जो यथास्थिति, सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमतों वाले पाउचों में पैक किया जाता है, प्रचालित की जा सकती है, विनिर्मित किया गया है, जिसकी शुल्क की दर सारणी 1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) सारणी 1, टिप्पण और उसके नीचे दृष्टांत 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"सारणी – 1

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)				
		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी के रूप में सामान्यतः ज्ञात)		
		प्रति मिनट 300 पाउचों तक		प्रति मिनट 301 पाउचों और उससे ऊपर तक		कोई गति
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	
		(3**क**)	(**3ख**)	(4**क**)	(**4ख**)	
1.	1.00 रु. तक	24.15	22.94	38.64	36.71	16.42
2.	1.00 रु. से अधिक किन्तु 1.50 रु. से अनधिक	36.22	34.41	57.96	55.06	24.63
3.	1.50 रु. से अधिक किन्तु	43.47	41.05	69.55	65.68	31.20

	2.00 रु. से अनधिक					
4.	2.00 रु. से अधिक किन्तु 3.00 रु. से अनधिक	65.20	61.58	104.32	98.53	44.46
5.	3.00 रु. से अधिक किन्तु 4.00 रु. से अनधिक	81.14	76.31	129.82	122.10	56.32
6.	4.00 रु. से अधिक किन्तु 5.00 रु. से अनधिक	101.42	95.39	162.28	152.62	66.88
7.	5.00 रु. से अधिक किन्तु 6.00 रु. से अनधिक	121.71	114.47	194.74	183.14	76.24
8.	6.00 रु. से अधिक किन्तु 7.00 रु. से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	84.50
9.	7.00 रु. से अधिक किन्तु 8.00 रु. से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	91.74
10.	8.00 रु. से अधिक किन्तु 9.00 रु. से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	98.05
11.	9.00 रु. से अधिक किन्तु 10.00 रु. से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	103.49
12.	10.00 रु. से अधिक किन्तु 15.00 रु. से अनधिक	272.40	258.78	435.84	414.05	103.49+10.35x(की-10)
13.	15.00 रु. से अधिक किन्तु 20.00 रु. से अनधिक	341.41	324.34	546.25	518.94	
14.	20.00 रु. से अधिक किन्तु 25.00 रु. से अनधिक	401.15	381.09	641.84	609.75	
15.	25.00 रु. से अधिक किन्तु 30.00 रु. से अनधिक	452.50	429.87	724.00	687.80	
16.	30.00 रु. से अधिक किन्तु 35.00 रु. से अनधिक	496.24	471.43	793.99	754.29	
17.	35.00 रु. से अधिक किन्तु 40.00 रु. से अनधिक	533.10	506.45	852.97	810.32	
18.	40.00 रु. से अधिक	563.76	535.57	902.01	856.91	

	किन्तु 45.00 रु. से अनधिक					
19.	45.00 रु. से अधिक किन्तु 50.00 रु. से अनधिक	588.81	559.37	942.10	895.00	
20.	50.00 रु. से अधिक	588.81+ **11.78**x (**की**-50)	559.37+ 11.19x (**की**-50)	942.10+ 18.84x (**की**-50)	895.00+ 17.90x (**की**-50)	
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।				

टिप्पण :- क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ सं. (5) में, की प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ सं. (2) में, की प्रविष्टि 'रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी ।'।

दृष्टांत 1 :- किसी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) के पाउच के लिए, जिसमें चूना ट्यूब नहीं है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिसपर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले चबाने वाले तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है प्रति मिनट 450 पाउच है और जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55 रु. (अर्थात् "की") है प्रतिमास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर = 942.10+18.84x (55-50) लाख रुपए = 1036.3 लाख रुपए होगी ।

दृष्टांत 2 :- किसी फिल्टर खैनी के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर, जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 15.00 रु. (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 103.49 + 10.35 x (15-10) लाख रुपए = 155.24 लाख रुपए होगी ।

सारणी-2

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)		
		जर्दा सुगंधित तम्बाकू	अविनिर्मित तम्बाकू	
		कोई गति	कोई गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना (4क)	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित (4ख)**
1.	1.00 रु. तक	27.05	13.30	12.63
2.	1.00 रु. से अधिक किन्तु 1.50 रु. से अनधिक	40.57	19.95	18.95
3.	1.50 रु. से अधिक किन्तु 2.00 रु. से	48.68	23.94	22.61

	अनधिक			
4.	2.00 रु. से अधिक किन्तु 3.00 रु. से अनधिक	73.03	35.91	33.91
5.	3.00 रु. से अधिक किन्तु 4.00 रु. से अनधिक	90.88	44.68	42.02
6.	4.00 रु. से अधिक किन्तु 5.00 रु. से अनधिक	113.60	55.85	52.63
7.	5.00 रु. से अधिक किन्तु 6.00 रु. से अनधिक	136.32	67.03	63.04
8.	6.00 रु. से अधिक किन्तु 7.00 रु. से अनधिक	216.37	106.39	99.74
9.	7.00 रु. से अधिक किन्तु 8.00 रु. से अनधिक	216.37	106.39	99.74
10.	8.00 रु. से अधिक किन्तु 9.00 रु. से अनधिक	216.37	106.39	99.74
11.	9.00 रु. से अधिक किन्तु 10.00 रु. से अनधिक	216.37	106.39	99.74
12.	10.00 रु. से अधिक किन्तु 15.00 रु. से अनधिक	305.09	150.01	142.51
13.	15.00 रु. से अधिक किन्तु 20.00 रु. से अनधिक	382.37	188.01	178.61
14.	20.00 रु. से अधिक किन्तु 25.00 रु. से अनधिक	449.29	220.91	209.87
15.	25.00 रु. से अधिक किन्तु 30.00 रु. से अनधिक	506.80	249.19	236.73
16.	30.00 रु. से अधिक किन्तु 35.00 रु. से अनधिक	555.79	273.28	259.61
17.	35.00 रु. से अधिक किन्तु 40.00 रु. से अनधिक	597.08	293.58	278.90
18.	40.00 रु. से अधिक किन्तु 45.00 रु. से अनधिक	631.41	310.46	294.94
19.	45.00 रु. से अधिक किन्तु 50.00 रु. से अनधिक	659.47	324.26	308.05
20.	50.00 रु. से अधिक	659.47+ **13.19** x	324.26 + **6.49**	308.05 + **6.16** x (**की-**

		(**की**-50)	x (**की**-50)	50)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।		

दृष्टांत 2 :- किसी जर्दा सुगंधित तम्बाकू के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55.00 रु. (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 659.47 + 13.19 x (15-10) लाख रुपए = 725.42 लाख रुपए होगी ।";

(ii) पैरा 2 में "पैकिंग मशीनों की सं." शब्दों के स्थान पर, "पैकिंग मशीनों की संख्या और ऐसी अधिकतम पैकिंग गति जिसपर मशीन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत वाले विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 3 में, सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी-2

क्रम सं.	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.9291	0.8139
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.0709	0.0698
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.0	0.1163
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0"

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 17/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि.448, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 5/2015-Central Excise

G.S.R. 135(E).-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/2010-Central Excise, dated the 27th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 27th February, 2010, namely :-

In the said notification, -

(i) In the first paragraph,-

(a) for the portion beginning with words "and packed in" and ending with the words "of the said table", the words, brackets, figures and letters "having maximum packing speed as specified in column (3) or column (4) or column (5) of Table-1 or column (3) or column (4) of Table-2, as the case may be, at which they can be operated for packing of specified goods which are packed in pouches of retail sale prices as specified in column (2) of the Table-1 or Table-2, as the case may be, the rates of duty specified in the corresponding entry in column (3a) or column (3b) or column (4a) or column (4b) or column (5) of the said Table-1 or column (3) or column (4a) or column (4b) of Table-2" shall be inserted;

(b) for Table-1, the Note and Illustrations 1 and 2 thereunder, the following shall be substituted, namely :-

"Table-1

Sl. No. (1)	Retail sale price (per pouch) (2)	Rate of duty per packing machine per month (Rupees in lakh)				
		Chewing tobacco (other than filter khaini)				Chewing tobacco (commonly known as filter khaini)
		Upto 300 pouches per minute (3)		301 pouches per minute and above (4)		Any speed (5)
		Without lime tube/lime pouches	With lime tube/lime pouches	Without lime tube/lime pouches	With lime tube/lime pouches	
		(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	
1	Up to Re. 1.00	24.15	22.94	38.64	36.71	16.42
2	Exceeding Re.1.00 but not exceeding Rs.1.50	36.22	34.41	57.96	55.06	24.63
3	Exceeding Re.1.50 but not exceeding Rs.2.00	43.47	41.05	69.55	65.68	31.20
4	Exceeding Re.2.00 but not exceeding Rs.3.00	65.20	61.58	104.32	98.53	44.46
5	Exceeding Re.3.00 but not exceeding Rs.4.00	81.14	76.31	129.82	122.10	56.32
6	Exceeding Re.4.00 but not exceeding Rs.5.00	101.42	95.39	162.28	152.62	66.88
7	Exceeding Re.5.00 but not exceeding Rs.6.00	121.71	114.47	194.74	183.14	76.24

8	Exceeding Re.6.00 but not exceeding Rs.7.00	193.19	181.12	309.10	289.79	84.50
9	Exceeding Re.7.00 but not exceeding Rs.8.00	193.19	181.12	309.10	289.79	91.74
10	Exceeding Re.8.00 but not exceeding Rs.9.00	193.19	181.12	309.10	289.79	98.05
11	Exceeding Re.9.00 but not exceeding Rs.10.00	193.19	181.12	309.10	289.79	103.49
12	Exceeding Re.10.00 but not exceeding Rs.15.00	272.40	258.78	435.84	414.05	103.49 + 10.35 x (P-10)
13	Exceeding Re.15.00 but not exceeding Rs.20.00	341.41	324.34	546.25	518.94	
14	Exceeding Re.20.00 but not exceeding Rs.25.00	401.15	381.09	641.84	609.75	
15	Exceeding Re.25.00 but not exceeding Rs.30.00	452.50	429.87	724.00	687.80	
16	Exceeding Re.30.00 but not exceeding Rs.35.00	496.24	471.43	793.99	754.29	
17	Exceeding Re.35.00 but not exceeding Rs.40.00	533.10	506.45	852.97	810.32	
18	Exceeding Re.40.00 but not exceeding Rs.45.00	563.76	535.57	902.01	856.91	
19	Exceeding Re.45.00 but not exceeding Rs. 50.00	588.81	559.37	942.10	895.00	
20	Above Rs.50.00	588.81 + 11.78 x (P-50)	559.37 + 11.19 x (P-50)	942.10 + 18.84 x (P-50)	895.00 + 17.90 x (P-50)	
		where ‘P’ above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be determined				

Note:- For the purposes of entry in column number (5), against Sl.No.12, the entry in column number (2) shall be read as ‘Rs. 10.01 and above’.

Illustration 1:-The rate of duty per packing machine per month for a chewing tobacco (other than filter khaini) pouch not containing lime tube having retail sale price of Rs. 55.00 (i.e. ‘P’) packed with the aid of a machine having maximum packing speed, at which it can be operated for packing of chewing tobacco (other than filter khaini) pouch of the said retail sale price, of 450 pouches per minute, shall be = Rs. 942.10 + 18.84 x (55-50) lakh = Rs. 1036.3 lakh.

Illustration 2:-The rate of duty per packing machine per month for a filter khaini pouch having retail sale price of Rs.15.00 (i.e. ‘P’) packed with the aid of a machine having any maximum packing speed shall be = Rs.103.49 + 10.35 x (15-10) lakh = Rs.155.24 lakh.

Table-2

Sl. No. (1)	Retail sale price (per pouch) (2)	Rate of Duty per packing machine per month (Rupees in lakh)		
		Jarda Scented Tobacco	Unmanufactured Tobacco	
		Any speed (3)	Any speed (4)	
			Without lime tube/lime pouches	With lime tube/lime pouches
			(4a)	(4b)
1	Up to Re. 1.00	27.05	13.30	12.63
2	Exceeding Re. 1.00 but not exceeding Rs. 1.50	40.57	19.95	18.95
3	Exceeding Re. 1.50but not exceeding Rs. 2.00	48.68	23.94	22.61
4	Exceeding Re. 2.00 but not exceeding Rs. 3.00	73.03	35.91	33.91
5	Exceeding Re. 3.00 but not exceeding Rs. 4.00	90.88	44.68	42.02
6	Exceeding Re. 4.00 but not exceeding Rs. 5.00	113.60	55.85	52.53
7	Exceeding Re. 5.00 but not exceeding Rs. 6.00	136.32	67.03	63.04
8	Exceeding Re. 6.00 but not exceeding Rs. 7.00	216.37	106.39	99.74
9	Exceeding Re. 7.00 but not exceeding Rs. 8.00	216.37	106.39	99.74
10	Exceeding Re. 8.00 but not exceeding Rs. 9.00	216.37	106.39	99.74
11	Exceeding Re. 9.00 but not exceeding Rs.10.00	216.37	106.39	99.74
12	Exceeding Re. 10.00 but not exceeding Rs.15.00	305.09	150.01	142.51
13	Exceeding Re. 15.00 but not exceeding Rs.20.00	382.37	188.01	178.61
14	Exceeding Re. 20.00 but not exceeding Rs.25.00	449.29	220.91	209.87
15	Exceeding Re. 25.00 but not exceeding Rs.30.00	506.80	249.19	236.73
16	Exceeding Re. 30.00 but not exceeding Rs.35.00	555.79	273.28	259.61
17	Exceeding Re. 35.00 but not exceeding Rs.40.00	597.08	293.58	278.90
18	Exceeding Re. 40.00 but not exceeding Rs.45.00	631.41	310.46	294.94

19	Exceeding Re. 45.00 but not exceeding Rs.50.00	659.47	324.26	308.05
20	Above Rs. 50.00	659.47 + 13.19 x (P-50)	324.26 + 6.49 x (P-50)	308.05 + 6.16 x (P-50)
		where 'P' above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be determined		

Illustration :- The rate of duty per packing machine per month for a jarda scented tobacco pouch having retail sale price of Rs. 55.00 (i.e. 'P') packed with the aid of a machine having any maximum packing speed shall be = Rs. 659.47 + 13.19 x(15-10) lakh = Rs. 725.42 lakh.";

(ii) in paragraph 2, for the words "The number of packing machines", the words "The number of packing machines and the maximum packing speed at which the machine can be operated for packing of specified goods of various retail sale prices" shall be substituted;

(iii) in paragraph 3, for Table-2, the following Table shall be substituted, namely:-

Table-3

Sl. No.	Duty	Duty ratio for unmanufactured tobacco	Duty ratio for chewing tobacco/Jarda scented Tobacco/filter khaini
(1)	(2)	(3)	(4)
1	The duty leviable under the Central Excise Act, 1944	0.9291	0.8139
2	The additional duty of Excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005	0.0709	0.0698
3	National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001	0.0	0.1163
4	Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act, 2004	0.0	0.0
5	Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 of the Finance Act, 2007	0.0	0.0".

[F. No. 334/ 5 /2015 –TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 16/2010-Central Excise, dated the 27th February, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 118(E), dated the 27th February, 2010 and last amended vide notification No.17/2014-Central Excise, dated the 11th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 6/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 136(अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिननयम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2008–केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रथम पैरा में,--

(क) "पैकिंग मशीन की सहायता से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "सारणी 1 के यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट श्रंखला में ऐसी अधिकतम पैकिंग गति वाली पैकिंग मशीनों की सहायता से जिस गति से वे ऐसे विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमत वाले पाउचों में पैक किए जाते हैं, विनिर्मित और पाउचों में पैक स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5क) या स्तंभ (5ख) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दरें" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी 1 और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी – 1

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)					
(1)	(2)	प्रति मिनट 300 पाउचों तक (3)		प्रति मिनट 301 से 750 पाउचों तक (4)		प्रति मिनट 750 पाउच और उससे अधिक (5)	
		पान मसाला	**तम्बाकू वाला पान मसाला**	**पान मसाला**	**तम्बाकू वाला पान मसाला**	**पान मसाला**	**तम्बाकू वाला पान मसाला**
		(3**क**)	(**3ख**)	(**4क**)	(**4ख**)	(5क)	(5ख)
1.	1.00 रु. तक	17.30	29.52	28.30	48.30	62.90	107.33
2.	1.01 रु. से 1.50 रु. तक	25.95	44.27	42.46	72.45	94.35	160.99
3.	1.51 रु. से 2.00 रु. तक	32.86	56.08	53.78	91.77	119.51	203.92

4.	2.01 रु. से 3.00 रु. तक	49.30	84.12	80.67	137.65	179.26	305.88
5.	3.01 रु. से 4.00 रु. तक	63.65	108.62	104.16	177.74	231.47	394.97
6.	4.01 रु. से 5.00 रु. तक	79.57	135.77	130.20	222.17	289.34	493.71
7.	5.01 रु. से 6.00 रु. तक	95.48	162.92	156.24	266.60	347.20	592.45
8.	6.00 रु. से अधिक	95.44+ **15.57*** (**की**-6)	162.92+ 26.56* (**की**-6)	156.24+ 25.47* (**की**-6)	266.60+ 43.47* (**की**-6)	347.20+ 56.61* (**की**-6)	592.45+ 96.60* (**की**-6)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है।					

दृष्टांत: किसी पान मसाला पाउच के लिए, जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 8.00 रु. (अर्थात् 'की') है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम गति जिस पर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले पान मसाला पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, 600 पाउच है, प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर 156. 24+ 25.47x(8-6) लाख रुपए = 207.18 लाख रुपए होगी।

(ii) पैरा 2 में "पैकिंग मशीनों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "पैकिंग मशीनों की संख्या और ऐसी अधिकतम पैकिंग गति जिस पर मशीन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत वाले विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) पैरा 3 में सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-2

क्रम सं.	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.3556	0.814
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1333	0.0698
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.5111	0.1162
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0"

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 42/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना

सं. 16/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 447(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 6/2015-Central Excise

G.S.R. 136(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2008-Central Excise, dated the 1st July, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 492(E), dated the 1st July, 2008, namely :-

In the said notification, -

(i) In the first paragraph,-

(a) for the portion beginning with words "and packed in" and ending with the words and figure "or column (4)", the , words, brackets, figures and letters "having maximum packing speed as specified in column (3) or column (4) or column (5) of Table-1, as the case may be, at which they can be operated for packing of specified goods which are packed in pouches of retail sale prices as specified in column (2) of the said Table, the rates of duty specified in the corresponding entry in column (3a) or column (3b) or column (4a) or column (4b) or column (5a) or column (5b)" shall be inserted;

(b) for Table-1 and the *Illustration*, the following shall be substituted, namely:-

"Table-1

S. No.	Retail sale price (per pouch)	Rate of duty per packing machine per month (Rs. in lakh)					
		Up to 300 pouches per minute		301 to 750 pouches per minute		751 pouches per minute and above	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		Pan masala	Pan masala containing tobacco	Pan masala	Pan masala containing tobacco	Pan masala	Pan masala containing tobacco
		(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)
1.	Up to Rs. 1.00	17.30	29.52	28.30	48.30	62.90	107.33
2.	From Rs. 1.01 to Rs. 1.50	25.95	44.27	42.46	72.45	94.35	160.99
3.	From Rs. 1.51 to Rs. 2.00	32.86	56.08	53.78	91.77	119.51	203.92
4.	From Rs. 2.01 to Rs. 3.00	49.30	84.12	80.67	137.65	179.26	305.88
5.	From Rs. 3.01 to Rs. 4.00	63.65	108.62	104.16	177.74	231.47	394.97
6.	From Rs. 4.01 to Rs. 5.00	79.57	135.77	130.20	222.17	289.34	493.71

7.	From Rs. 5.01 to Rs. 6.00	95.48	162.92	156.24	266.60	347.20	592.45
8.	Above Rs.6.00	95.48+ 15.57*(P- 6)	162.92+ 26.56 * (P-6)	156.24+ 25.47 * (P-6)	266.60+ 43.47 * (P-6)	347.20+ 56.61 * (P-6)	592.45+ 96.60 * (P-6)
		where 'P' above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be determined					

Illustration. - The rate of duty per packing machine per month for a pan masala pouch having retail sale price of Rs. 8.00 (i.e. 'P') packed with the aid of a machine having maximum packing speed, at which it can be operated for packing of pan masala pouch of the said retail sale price, of 600 pouches per minute shall be = Rs. 156.24 + 25.47 x (8-6) lakhs = Rs. 207.18 lakh.";

(ii) In paragraph 2, for the words "The number of packing machines", the words "The number of packing machines and the maximum packing speed at which the machine can be operated for packing of specified goods of various retail sale prices" shall be substituted;

(iii) In paragraph 3, for Table-2, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table-2

Sl. No.	Duty	Duty ratio for pan masala	Duty ratio for pan masala containing tobacco
(1)	(2)	(3)	(4)
1	The duty leviable under the Central Excise Act, 1944	0.3556	0.814
2	The additional duty of excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005	0.1333	0.0698
3	National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001	0.5111	0.1162
4	Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act, 2004	0.0	0.0
5	Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 of the Finance Act, 2007	0.0	0.0".

[F.No. 334/ 5/2015 –TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 42/2008-Central Excise, dated the 1st July, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 492(E), dated the 1st July, 2008 and last amended by notification No. 16/2014-Central Excise, dated the 11th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 447 (E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 7/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 137(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में, सा.का.नि. 116(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"1क	0402 91 10 या 0402 99 20	मात्रक आधानों में रखा गया संघनित दुग्ध"।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 116(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा, प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 08/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं 439(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014, द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No.7/2015-Central Excise

G.S.R. 137(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/2011-Central Excise, dated the 1st March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 116(E), dated the 1st March, 2011, namely: --

In the said notification, in the Table, after S. No.1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:--

"1A	0402 91 10 or 0402 99 20	Condensed milk put up in unit containers".

[F. No.334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 116(E), dated the 1st March, 2011 and last amended by

notification No. 8/2014-Central Excise, dated the 11thJuly, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 439(E) dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 8/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 138(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2011-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में, सा.का.नि. 117(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"1क	0402 91 10 या 0402 99 20	मात्रक आधानों में रखा गया संघनित दुग्ध" ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 117(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि.सं. 440(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014, द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 8/2015-Central Excise

G.S.R. 138(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2011-Central Excise, dated the 1st March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 117(E), dated the 1st March, 2011, namely: --

In the said notification, in the Table, after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:--

"1A	0402 91 10 or 0402 99 20	Condensed milk put up in unit containers".

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 117(E) dated the 1st March, 2011 and last amended by notification No. 09/2014-Central Excise, dated the 11th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 440 (E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 9/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 139(अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उप-धारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का. नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क	2202 10	जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल भी है, जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य या सुरुचिकारक है	शून्य";

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 359(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 23/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 9/2015-Central Excise

G.S.R. 139(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2005-Central Excise, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2005, namely :--

In the said notification, in the Table, after S.No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:--

(1)	(2)	(3)	(4)
"1A.	2202 10	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured	Nil".

[F. No.334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 126 (E), dated the 1st March, 2005 and last amended by notification No. 23/2010-Central Excise, dated the 29th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 359(E) dated the 29th April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 10/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 140(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आने वाले सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट का उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 111 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 10/2015-Central Excise

G.S.R. 140(E).- In exercise of the powers conferred by section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts motor spirit commonly known as petrol, falling under heading 2710 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under section 111 read with the Second Schedule to the said Finance (No.2) Act, 1998, as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees six per litre.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

Pramod Kumar, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 11/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 141(अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आने वाले हाई स्पीड डीजल तेल को उक्त वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 133 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव,

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 11/2015-Central Excise

G.S.R. 141(E).- In exercise of the powers conferred by section 133 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts high speed diesel oil, falling under heading 2710 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under section 133 read with the Second Schedule to the said Finance Act, 1999, as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees six per litre.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 12/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 142(अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) आरंभिक पैरा के पहले परंतुक में “31 मार्च, 2015” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2016” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मात्रक आधानों में रखे गए संघनित दुग्ध से भिन्न संघनित दुग्ध" रखा जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) क्रम सं. 42 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 43 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 45 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं. 50 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं. 51 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6%+125 रु. प्रति मीट्रिक टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%+125 रु. प्रति मीट्रिक टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं. 52 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 53 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं. 70 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5.46 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6.64 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं. 71 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "4.26 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "6.62 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं. 90 के सामने, स्तंभ (4) में "12%" अंकों और प्रतीक के स्थान पर "12.5%" अंक और प्रतीक रखे जाएंगे ;

(xiii) क्रम सं. 107 के सामने, स्तंभ (4) में, "12%" अंकों और प्रतीक के स्थान पर "12.5%" अंक और प्रतीक रखे जाएंगे ;

(xiv) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"145क	3818	स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत परिपथ (ए.प.) मॉडयूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए वेफर्स	6%	2";

(xv) क्रम सं. 148क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"148ख	3923 21 00	औद्योगिक उपयोग से भिन्न उपयोग के लिए बोरे और बैग	15%	-
148ग	3923 21 00	ऊपर क्रम सं. 148ख में उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	12.5%	-
148घ	3923 29	सभी माल	12.5%	-";

(xvi) क्रम सं. 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"180क	6403 या 6405	चमड़े के जूतादि स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए चमड़े के जूतादि से चमड़े के उपरले वाले जूतादि अभिप्रेत हैं जहां 'चमड़ा' शीर्ष 4107 या 4112 से 4114 के मालों के संदर्भ में है ।	6%	-";

(xvii) क्रम सं. 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् ।

"201क	7201 10 00	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के ढलवां घटकों के विनिमार्ण के लिए एसजी श्रेणी का पिग लौह	शून्य	53
201ख	7202 29 00	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के ढलवां घटकों के विनिमार्ण के लिए लौह सिलिकॉन मैंगनीसियम	शून्य	53";

(xviii) क्रम सं. 205क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्रम सं. 215क के सामने, स्तंभ (3) में, "चपटी तांबे की तार" शब्दों के स्थान पर, "गोलाकार तांबे की तार या चपटी तांबे की तार" शब्द रखे जाएंगे ;

(xx) क्रम सं. 215क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"215ख	8001 20 00	सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों और मॉडयूल के विनिर्माण के लिए प्रकाश वोल्टीय (प्र.वो.) फीतों के विनिर्माण में उपयोग के लिए टिन मिश्रातु	शून्य	51";

(xxi) क्रम सं. 238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

238क	8419 19	सौर जल तापित्र और प्रणाली	शून्य	52
238ख	8419 या अन्य कोई अध्याय	सौर जल तापित्र और प्रणाली के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे	शून्य	2";

(xxii) क्रम सं. 244 में,-

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं. 254 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"254क	8471 30	टैबलेट कंप्यूटर	2%	16
254ख	84 या अन्य कोई अध्याय	(i) टैबलेट कंप्यूटर के उपयोग के लिए पुर्जे, घटक और सहायिकी (ii) उपर्युक्त (i) पर वर्णित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे	शून्य शून्य	2 2";

(xxiv) क्रम सं. 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"263क	8517	मोबाइल हैंडसेट जिसके अंतर्गत सैल्यूलर फोन भी हैं	1%	16";

(xxv) क्रम सं. 273 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ, (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) क्रम सं. 278 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) क्रम सं. 279 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) क्रम सं. 281 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) क्रम सं. 285 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) क्रम सं. 286 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) क्रम सं. 287 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) क्रम सं. 288 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (1) की उपमद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (1) की उपमद (iv) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) स्तंभ (3) की मद (2) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) क्रम सं. 288 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"288क	8706 00 21 या 8706 00 39	ऐसे मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से किसी ऐंबुलैंस के लिए सम्यक् रूप से सभी फिटमेंट, फर्नीचर और आवश्यक उपसाधन लगे हुए किसी एंबुलैंस के रूप में निकासी किए गए शीर्ष 8702 और 8703 के अधीन आने वाले मोटर यानों के विनिमार्ण में उपयोग के लिए चेसिस ।	12.5%	2";

(xxxiv) क्रम सं. 289 में,--

(क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) क्रम सं. 318 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"318क	90 या अन्य कोई अध्याय	गतिप्रेरक (टैरिफ मद 9021 50 00) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i). बैटरी; (ii). टाइटेनियम; (iii). पैलेडियम तार; (iv). यूटेक्टिक तार; (v). सिलिकॉन रेसिन या सिलिकॉन रबर; (vi). सोल्डर पेस्ट; (vii). रीड स्विच; (viii). डाइओड; (ix). ट्रांस्सिटर; (x). धारित्र; (xi). नियंत्रक; (xii). कुंडली (इस्पात); (xiii). नली (सिलिकॉन) ।	शून्य	2";

(xxxvi) क्रम संख्यांक 321क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"321ख	कोई अध्याय	एलइडी प्रकाश और फिक्सचर या एलइडी लैंपों के लिए एलइडी (प्रकाश उत्सर्जक डाइओड) ड्राइवर या धा.क्रो.मु.प.बो. (धातु क्रोड़ मुद्रित परिपथ बोर्ड) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी निवेश	6%	2";

(ग) उपाबंध में,--

(i) "शर्त" शीर्ष के अधीन, शर्त सं. 41 में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"परंतु यदि माल जब उसका भारत में आयात किया जाता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन विहित कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से इस प्रकार छूट प्राप्त होता है तब ऐसी शर्तें इस छूट के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी";

(ii) शर्त सं 42 में, खंड (ख) में "छतीस मास या उससे अधिक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जांएगे ।

(iii) शर्त सं 43 में, खंड (ख) में "छतीस मास या उससे अधिक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "छियासठ मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जांएगे ।

(iv) शर्त सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:--

शर्त सं.	शर्तें
"52.	यदि इन मालों के विनिर्माण में उपयोग किए गए निवेश या निवेश सेवा या पूंजी मालों के संबंध में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 या नियम 13 के अधीन कोई प्रत्यय नहीं लिया गया है";
53	यदि माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता, यथास्थिति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को भारत सरकार के नई और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय में उपसचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी से यह छूट प्रदान करने की सिफारिश करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है और उक्त अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।";

(घ) सूची 8 में, मद सं. (5) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 4/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जनवरी, 2013 द्वारा जो सा.का.नि. 65(अ), तारीख 30 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 12/2015-Central Excise

G.S.R. 142(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification,-

(A) in the opening paragraph, in the first proviso, for the figures, letters and words "31st day of March, 2015", the figures, letters and words "31st day of March, 2016" shall be substituted;

(B) in the Table,-

(i) against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "condensed milk other than put up in unit containers" shall be substituted;

(ii) Sl. No. 13A and the entries relating thereto shall be deleted;

(iii) against Sl. No. 42, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(iv) against Sl. No. 43, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(v) against Sl. No. 45, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(vi) against Sl. No. 50, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(vii) in Sl. No. 51,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "6% + Rs. 125 PMT" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5% + Rs. 125 PMT" shall be substituted;

(viii) against Sl. No. 52, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(ix) against Sl. No. 53, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(x) in Sl. No. 70,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 5.46 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 6.64 per litre" shall be substituted;

(xi) in Sl. No. 71,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 4.26 per litre" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "Rs. 6.62 per litre" shall be substituted;

(xii) against Sl. No. 90, in column (4), for the figures and symbol "12%", the figures and symbol "12.5%" shall be substituted;

(xiii) against Sl. No. 107, in column (4), for the figures and symbol "12%", the figures and symbol "12.5%" shall be substituted;

(xiv) after Sl. No. 145 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

"145A	3818	Wafers for use in the manufacture of Integrated Circuit (IC) modules for smart cards	6%	2";

(xv) after Sl. No. 148A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

"148B	3923 21 00	Sacks and bags, other than for industrial use	15%	-
148C	3923 21 00	All goods, other than goods mentioned at Sl. No. 148B above	12.5%	-
148D	3923 29	All goods	12.5%	-";

(xvi) after Sl. No. 180 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely:-

"180A	6403 or 6405	Leather Footwear *Explanation*: For the purposes of this entry, leather footwear means footwear with uppers of leather where 'leather' refers to the goods of headings 4107 or 4112 to 4114.	6%	-";

(xvii) after Sl. No. 201 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely :-

"201A	7201 10 00	Pig iron SG grade for manufacture of cast components of wind operated electricity generators	Nil	53
201B	7202 29 00	Ferro-silicon-magnesium for manufacture of cast components of wind operated electricity generators	Nil	53";

(xviii) against Sl. No. 205A, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xix) against Sl. No. 215A, in column (3), for the words "Flat copper wire", the words, "Round copper wire or flat copper wire" shall be substituted;

(xx) after Sl. No. 215A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely :-

"215B	8001 20 00	Tin alloys for use in the manufacture of Photovoltaic (PV) ribbon (tinned copper interconnect) for manufacture of solar photovoltaic cells or modules	Nil	51";

(xxi) after Sl. No. 238 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :-

"238A	8419 19	Solar water heater and system	Nil	52
238B	8419 or any other chapter	Parts for use in the manufacture of solar water heater and system	Nil	2";

(xxii) in Sl. No. 244,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxiii) after Sl. No. 254 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :-

"254A	8471 30	Tablet computer	2%	16
254B	84 or any other Chapter	(i) Parts, components or accessories for use in the manufacture of tablet computer (ii) Sub-parts for use in the manufacture of items mentioned at (i) above.	Nil Nil	2 2";

(xxiv) for Sl. No. 263A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

"263A	8517	Mobile handsets including cellular phones	1%	16";

(xxv) in Sl. No. 273,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(b) against item (ii) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxvi) against Sl. No. 278, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxvii) against Sl. No. 279, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxviii) against Sl. No. 281, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxix) against Sl. No. 285, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxx) against Sl. No. 286, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxxi) against Sl. No. 287, for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxxii) in Sl. No. 288,-

(a) against sub-item (ii) in item (1) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(b) against sub-item (iv) in item (1) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(c) against item (2) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxxiii) after Sl. No. 288 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely-

"288A	8706 00 21 or 8706 00 39	Chassis for use in the manufacture of motor vehicles falling under headings 8702 and 8703 cleared as ambulance duly fitted with all fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles	12.5%	2";

(xxxiv) against Sl. No. 289,-

(a) against item (i) of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(b) against item (ii), of column (3), for the entry in column (4), the entry "12.5%" shall be substituted;

(xxxv) after Sl. No. 318 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely :-

"318A	90 or any other Chapter	The following goods for use in the manufacture of pacemakers (tariff item 9021 50 00), namely:- (i). Battery; (ii). Titanium; (iii). Palladium wire; (iv). Eutectic wire ; (v). Silicone resins or Silicone rubbers; (vi). Solder paste; (vii). Reed switch; (viii). Diodes; (ix). Transistors; (x). Capacitors; (xi). Controllers; (xii). Coils (steel) ; (xiii). Tubing (Silicone).	Nil	2";

(xxxvi) after Sl. No. 321A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be inserted, namely :-

"321B	Any Chapter	All inputs for use in the manufacture of LED (Light Emitting Diode) driver or MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) for LED lights and fixtures or LED Lamps	6%	2";

(C) In the ANNEXURE, -

(i) in Condition No. 41, under the heading "Conditions", after the entries, the following proviso shall be inserted, namely:-
"**Provided** that if the goods when imported into India are so exempt from the said duties of customs subject to certain conditions prescribed under a notification issued under the Customs Act, 1962, then such conditions shall, mutatis mutandis, apply for the purposes of this exemption.";

(ii) in Condition No. 42, in clause (b), for the words "a term of thirty six months or more", the words "a term of forty two months" shall be substituted;

(iii) in Condition No. 43, in clause (b), for the words "a term of thirty six months or more", the words "a term of sixty six months" shall be substituted;

(iv) after Condition No. 51 and the entries relating thereto, the following conditions and entries shall be inserted, namely:-

"Condition No.	Conditions
52.	If no credit under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit Rules, 2004 has been taken in respect of inputs or input service or capital goods used in the manufacture of these goods.;
53.	If, before the clearance of the goods, the manufacturer produces to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of New and Renewable Energy recommending the grant of this exemption and the said officer certifies that the goods are required for the specified purpose.";

(D) in List 8, item number (5) shall be deleted.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 4/2015-Central Excise, dated the 30th January, 2015, published *vide* number G.S.R. 65(E), dated the 30th January, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 13/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 143(अ.).-केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 10/96-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 308(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"8क	3307 41 00	अगरबत्ती" ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/96-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 308(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2012- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 मई, 2012 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 340 (अ) तारीख 8 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 13/2015-Central Excise

G.S.R. 143(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/96-Central Excise, dated the 23rd July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 308(E), dated the 23rd July, 1996, namely:--

In the said notification, in the TABLE, after serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:--

(1)	(2)	(3)
"8A	3307 41 00	Agarbatti".

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 10/96-Central Excise, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide,* number G.S.R. 308(E), dated the 23rd July, 1996 and last amended by notification No. 25/2012-Central Excise, dated the 8th May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide,* number G.S.R. 340(E), dated the 8th May, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 14/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 144(अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले सभी माल को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 93 के अधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 14/2015-Central Excise

G.S.R. 144(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sections 91 and 93 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling within the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the Education Cess leviable thereon under section 93 of the said Finance Act.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 15/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 145(अ).--केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 138 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले सभी माल को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 15/2015-Central Excise

G.S.R. 145 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sections 136 and 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling within the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the Secondary and Higher Education Cess leviable thereon under section 138 of the said Finance Act.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 16/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 146(अ.).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम संख्यांक 1क और 1ख और उसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्यांक 5क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी;

(iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी;

(iv) क्रम संख्यांक 7क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.18/2014-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि.सं. 449(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 16/2015-Central Excise

G.S.R. 146(E).-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 266 (E), dated the 31st March, 2003, namely :--

In the said notification, in the TABLE, --

(i) serial numbers 1A and 1B and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) against serial number 5A, in column (4), for the entry "12%", the entry "12.5%" shall be substituted;

(iii) against serial number 6, in column (4), for the entry "12%", the entry "12.5%" shall be substituted;

(iv) against serial number 7A, in column (4), for the entry "12%", the entry "12.5%" shall be substituted.

[F. No. 334/5/2015- TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 23/2003 – Central Excise, dated the 31st March, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 266(E), dated the 31st March, 2003 and was last amended, *vide* notification No. 18/2014 – Central Excise, dated the 11th July, 2014, published, *vide* number G.S.R. 449(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 17/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 147(अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 138 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख
(1)	(2)
1.	28/2010- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून, 2010 [सा.का.नि. 549(अ), तारीख 22 जून, 2010]
2.	29/2010- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून, 2010 [सा.का.नि. 550(अ), तारीख 22 जून, 2010]

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 17/2015-Central Excise

G.S.R. 147(E).-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sections 91 and 93 of the Finance (No. 2), Act, 2004 (23 of 2004) and sections 136 and 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:--

TABLE

Serial number	Notification number and date
(1)	(2)
1.	28/2010-Central Excise, dated the 22nd June, 2010 [G.S.R. 549(E), dated the 22nd June, 2010]
2.	29/2010- Central Excise, dated 22nd June, 2010 [G.S.R. 550(E), dated the 22nd June, 2010]

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 3/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. 148(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 882(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(क) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"1क	0402 91 10 0402 99 20	मात्रक आधानो में रखा गया संघनित दुग्ध	30";

(ख) क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"16क	2101 20	चाय या मेट के निष्कर्ष, सत और सांद्र तथा इन निष्कर्षों, सतों या सांद्रों के आधार वाली या चाय या मेट के आधार वाली विनिर्मितियां	30";

(ग) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"25क	2202	खनिज जल और वातित जल के सिवाय सभी माल	35";

(घ) क्रम सं. 56 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ङ) क्रम सं. 101 के सामने,--

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "85 या 94" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) स्तंभ (3) में "आटोमोबाइल के लिए लैंपों के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "शीर्ष 8539 के अन्तर्गत आने वाले [आटोमोबाइल के लिए लैंपों के सिवाय], अध्याय 85 या शीर्ष 9405 के अन्तर्गत आने वाले एलईडी लैंपों सहित एलईडी लाइट्स या फिक्सचर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(च) क्रम सं. 121, 122, 123 और 124 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 49/2008- सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 882(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 17/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 452(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 3/2015-Central Excise (N. T.)

G.S.R. 148(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2008-Central Excise (N.T.), dated the 24th December, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 882 (E), dated the 24th December, 2008, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

"1A	0402 91 10, 0402 99 20	Condensed milk put up in unit containers	30";

(b) after S. No. 16 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

"16A	2101 20	Extracts, essences and concentrates of tea or mate and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate	30";

(c) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

"25A	2202	All goods except mineral waters and aerated waters	35";

(d) against S. No. 56, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(e) against S. No. 101,-

(a) for the entry in column (2), the entry "85 or 94" shall be substituted;

(b) in column (3), for the words "except lamps for automobiles", the words, brackets and figures "falling under heading 8539 [except lamps for automobiles], LED lights or fixtures including LED Lamps falling under Chapter 85 or heading 9405" shall be substituted.

(f) S. Nos. 121, 122, 123 and 124 and the entries relating thereto shall be deleted.

[F. No. 334 /5/2015 -TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 49/2008-Central Excise (N.T.), dated the 24th December, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882 (E), dated the 24th December, 2008 and last amended by notification No. 17/2014-Central Excise (N.T.), dated the 11th July, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 452 (E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 4/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. 149(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 में,—

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. उत्पादन से सुसंगत कारक-- विनिर्माता के कारखाने में पैंकिंग मशीनों की संख्या तथा अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है, अधिसूचित मालों के उत्पादन के लिए सुसंगत कारक होंगे ।"

(ii) नियम 5 में,—

(क) "अधिसूचित मालों की मात्रा", शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "यथास्थिति" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनकी खुदरा कीमत नीचे दी गई सारणी – 1 या सारणी – 2 के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, ऐसी प्रचालित पैंकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित, जिसकी अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर वह अधिसूचित माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, प्रतिमास वह मानी जाएगी, जो यथास्थिति, सारणी – 1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ 5 या सारणी – 2 के स्तंभ 3, स्तंभ 4(क), सतंभ 4(ख) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समतुल्य होगी" ;

(ख) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

सारणी–1

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	चबाने वाला तंबाकू, जिसके अंतर्गत फिल्टर खैनी भी है, के लिए प्रति पैंकिंग मशीन प्रति मास उत्पादन क्षमता (पाउचों की संख्या)	
		चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)	चबाने वाला तंबाकू (सामान्य रूप से फिल्टर

						खैनी के रूप में ज्ञात)
		प्रति मिनट 300 पाउचों तक (3)		प्रति मिनट 301 पाउच और उससे अधिक (4)		कोई भी गति (5)
		बिना चूना ट्यूब के/चूना पाउच	चूना ट्यूब /चूना पाउच सहित	बिना चूना ट्यूब के/चूना पाउच	चूना ट्यूब/ चूना पाउच सहित	
(1)	**(2)**	**(3क)**	**(3ख)**	**(4क)**	**(4ख)**	
1	1.00 रु. तक	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
2	1.00 रु. से अधिक किन्तु 1.50 रु. से अधिक नहीं	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
3	1.50 रु. से अधिक किन्तु 2.00 रु. से अधिक नहीं	5616000	5304000	8985600	8486400	4031040
4	2.00 रु. से अधिक किन्तु 3.00 रु. से अधिक नहीं	5616000	5304000	8985600	8486400	3829488
5	3.00 रु. से अधिक किन्तु 4.00 रु. से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3638014
6	4.00 रु. से अधिक किन्तु 5.00 रु. से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3456113
7	5.00 रु. से अधिक किन्तु 6.00 रु. से अधिक नहीं	5241600	4929600	8386560	7887360	3283307
8	6.00 रु. से अधिक किन्तु 7.00 रु. से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	3119142
9	7.00 रु. से अधिक किन्तु 8.00 रु. से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2963185
10	8.00 रु. से अधिक किन्तु 9.00 रु. से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2815026
11	9.00 रु. से अधिक किन्तु 10.00 रु. से अधिक नहीं	4992000	4680000	7987200	7488000	2674274
12	10.00 रु. से अधिक किन्तु 11.00 रु. से अधिक नहीं	4692480	4457856	7507968	7132570	2674274

13	15.00 रु. से अधिक किन्तु 20.00 रु. से अधिक नहीं	4410931	4190385	7057490	6704615	
14	20.00 रु. से अधिक किन्तु 25.00 रु. से अधिक नहीं	4146275	3938962	6634041	6302338	
15	25.00 रु. से अधिक किन्तु 30.00 रु. से अधिक नहीं	3897499	3702624	6235998	5924198	
16	30.00 रु. से अधिक किन्तु 35.00 रु. से अधिक नहीं	3663649	3480466	5861838	5568746	
17	35.00 रु. से अधिक किन्तु 40.00 रु. से अधिक नहीं	3443830	3271638	5510128	5234622	
18	40.00 रु. से अधिक किन्तु 45.00 रु. से अधिक नहीं	3237200	3075340	5179520	4920544	
19	45.00 रु. से अधिक किन्तु 50.00 रु. से अधिक नहीं	3042968	2890820	4868749	4625312	
20	50.00 रु. से अधिक	3042968	2890820	4868749	4625312	

टिप्पण :- फिल्टर खैनी के संबंध में क्रम सं. 12 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि "10.01 रुपए और उससे अधिक" होगी''।

सारणी–2

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	जर्दा सुगंधित तबाकू और अविनिर्मित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति मास उत्पादन क्षमता (पाउचों की संख्या)		
		जर्दा सुगंधित तबाकू	अविनिर्मित तंबाकू	
(1)	(2)	कोई भी गति (3)	कोई भी गति (4)	
			चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित
(1)	**(2)**		**(4क)**	**(4ख)**
1	1.00 रु. तक	6988800	4992000	4742400
2	1.00 रु. से अधिक किन्तु 1.50 रु. से अधिक नहीं	6988800	4992000	4742400
3	1.50 रु. से अधिक किन्तु 2.00 रु. से अधिक नहीं	6289920	4492800	4243200
4	2.00 रु. से अधिक किन्तु 3.00 रु. से अधिक नहीं	6289920	4492800	4243200
5	3.00 रु. से अधिक किन्तु 4.00 रु. से अधिक नहीं	5870592	4193280	3943680

6	4.00 रु. से अधिक किन्तु 5.00 रु. से अधिक नहीं	5870592	4193280	3943680
7	5.00 रु. से अधिक किन्तु 6.00 रु. से अधिक नहीं	5870592	4193280	3943680
8	6.00 रु. से अधिक किन्तु 7.00 रु. से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
9	7.00 रु. से अधिक किन्तु 8.00 रु. से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
10	8.00 रु. से अधिक किन्तु 9.00 रु. से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
11	9.00 रु. से अधिक किन्तु 10.00 रु. से अधिक नहीं	5591040	3993600	3744000
12	10.00 रु. से अधिक किन्तु 11.00 रु. से अधिक नहीं	5255578	3753984	3566285
13	15.00 रु. से अधिक किन्तु 20.00 रु. से अधिक नहीं	4940243	3528745	3352308
14	20.00 रु. से अधिक किन्तु 25.00 रु. से अधिक नहीं	4643828	3317020	3151169
15	25.00 रु. से अधिक किन्तु 30.00 रु. से अधिक नहीं	4365199	3117999	2962099
16	30.00 रु. से अधिक किन्तु 35.00 रु. से अधिक नहीं	4103287	2930919	2784373
17	35.00 रु. से अधिक किन्तु 40.00 रु. से अधिक नहीं	3857090	2755064	2617311
18	40.00 रु. से अधिक किन्तु 45.00 रु. से अधिक नहीं	3625664	2589760	2460272
19	45.00 रु. से अधिक किन्तु 50.00 रु. से अधिक नहीं	3408124	2434375	2312656
20	50.00 रु. से अधिक	3408124	2434375	2312656

(iii) नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (x) में, "संख्या", शब्द के पश्चात् "खंड (vii) के अनुसार ब्यौरे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, "अनुमोदन और घोषणा", शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत वह अधिकतम पैंकिंग गति भी है जिस पर उसके कारखाने में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों का प्रचालन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमतों के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि 1 मार्च, 2015 से अवधि के लिए उत्पादन की वार्षिक क्षमता का पुन: अवधारण, यथास्थिति, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 के प्रवृत्त होने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ।";

(घ) उपनियम (6) में, "विद्यमान खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "या किसी नई खुदरा विक्रय कीमत के माल के विनिर्माण के प्रारंभ की दशा में वह अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर पैंकिंग मशीनों का प्रचालन ऐसी नई खुदरा विक्रय कीमत के मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 9 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि मार्च, 2015 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया जाएगा ;";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 18 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी विनिर्माता के परिसर में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों की संख्या के विषय में घोषणा न करना अंतर्वलित करने वाले उल्लंघनों की दशा में, ऐसी अघोषित पैंकिंग मशीनों की बाबत उद्ग्रहणीय शुल्क का अवधारण परिसर में उपलब्ध पाई गई अघोषित पैंकिंग मशीनों की कुल संख्या, पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010-के.उ. तारीख 27 फरवरी, 2010 में यथाविनिर्दिष्ट अघोषित अधिकतम पैंकिंग गति की तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर के आधार पर किया जाएगा ।"

(vi) नियम 18 के उपनियम (2) में, "इकाई का परिसर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "सिवाय" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "इकाई का परिसर, पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की खुदरा विक्रय कीमत और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2010-के.उ. तारीख 27 फरवरी, 2010 में यथाविनिर्दिष्ट उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति के तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर और सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) परूप 1 में, पैरा 14 में "संख्या" शब्द के पश्चात् "प्रविष्टि (11) के अनुसार और ब्यौरे" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) परूप 2 में, प्रविष्टि 4 में,--

(क) मद (ii) में "प्रत्येक खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "और वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का उस खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(iv) विभिन्न शुल्कों के लिए नकद में कुल शुल्क के संदाय की अलग-अलग कीमत नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी :--

सारणी

क्रम सं.	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)	पान मसाला, जिसमें तंबाकू अंतर्विष्ट है, के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क				

2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क				
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा शुल्क				
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर				
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर				

दृष्टांत : यह मानते हुए कि किसी विशिष्ट मास के लिए अधिनियम की धारा 3क के अधीन चबाने वाले तंबाकू के लिए संदेय कुल शुल्क दस लाख रुपए है और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय उपलब्ध है तथा नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए उसका भी उपयोजन किया जाता है तब उपर्युक्त (iv) में ब्यौरे नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (6) के अनुसार होंगे :—

सारणी

क्रम सं.	शुल्क	कुल शुल्क की अलग-अलग कीमत (पहले से ही विहित शुल्क के अनुपात के अनुसार)	उपलब्ध केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय	शुल्क के संदाय के लिए उपयोजित केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय	शुल्क का नकद में संदाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	81390	10000	10000	71390
2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	6980	1000	1000	5980
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा शुल्क	11630	1500	1500	10130
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	200	200	0.0

5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	100	100	0.0
	कुल शुल्क	100000	12800	12800	87500

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा अधिसूचना सं. 11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 04/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 24 जनवरी, 2014, जो सा.का.नि. 59(अ) तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 4/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 149(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2010,—

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Factors relevant to production.– The factors relevant to the production of notified goods shall be the number of packing machines in the factory of the manufacturer and the maximum packing speed at which such packing machines can be operated for packing of notified goods of various retail sale prices.";

(ii) in rule 5,—

(a) for the portion beginning with the words "The quantity of notified goods" and ending with the words "as the case may be", the following shall be substituted, namely:—

"The quantity of notified goods, having retail sale prices as specified in column (2) of Table-1 or Table-2 below, deemed to be produced by use of one operating packing machine, having maximum packing speed at which it can be operated for packing of notified goods as specified in column (3) or column (4) or column (5) of the said Table-1 , or column (3) or column (4) of the said Table-2 , as the case may be, per month shall be as is equal to the corresponding entry specified in column (3a) or column (3b) or column (4a) or column (4b) or column (5) of the said Table-1, or column (3) or column (4a) or column (4b) of the said Table-2, as the case may be";

(b) for the Table, the following shall be substituted, namely:—

"Table-1

Sl.No. (1)	Retail sale price (per pouch) (2)	Capacity of production per packing machine per month for Chewing tobacco including Filter Khaini (number of pouches)				
		Chewing tobacco (other than Filter Khaini)				Filter Khaini
		Up to 300 pouches per minute (3)		301 pouches per minute and above (4)		Any speed (5)
		Without lime tube / lime pouches	With lime tube / lime pouches	Without lime tube / lime pouches	With lime tube / lime pouches	
		(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	
1	Up to Re. 1.00	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
2	Exceeding Re.1.00 but not exceeding Rs.1.50	6240000	5928000	9984000	9484800	4243200
3	Exceeding Rs.1.50 but not exceeding Rs.2.00	5616000	5304000	8985600	8486400	4031040
4	Exceeding Rs.2.00 but not exceeding Rs.3.00	5616000	5304000	8985600	8486400	3829488
5	Exceeding Rs.3.00 but not exceeding Rs.4.00	5241600	4929600	8386560	7887360	3638014
6	Exceeding Rs.4.00 but not exceeding Rs.5.00	5241600	4929600	8386560	7887360	3456113
7	Exceeding Rs.5.00 but not exceeding Rs.6.00	5241600	4929600	8386560	7887360	3283307
8	Exceeding Rs.6.00 but not exceeding Rs.7.00	4992000	4680000	7987200	7488000	3119142
9	Exceeding Rs.7.00 but not exceeding Rs.8.00	4992000	4680000	7987200	7488000	2963185
10	Exceeding Rs.8.00 but not exceeding Rs.9.00	4992000	4680000	7987200	7488000	2815026
11	Exceeding Rs.9.00 but not exceeding Rs.10.00	4992000	4680000	7987200	7488000	2674274
12	Exceeding Rs.10.00 but not exceeding Rs.15.00	4692480	4457856	7507968	7132570	2674274
13	Exceeding Rs.15.00 but not exceeding Rs.20.00	4410931	4190385	7057490	6704615	
14	Exceeding Rs.20.00 but not exceeding Rs.25.00	4146275	3938962	6634041	6302338	
15	Exceeding Rs.25.00 but not exceeding Rs.30.00	3897499	3702624	6235998	5924198	
16	Exceeding Rs.30.00 but not exceeding Rs.35.00	3663649	3480466	5861838	5568746	

17	Exceeding Rs.35.00 but not exceeding Rs.40.00	3443830	3271638	5510128	5234622	
18	Exceeding Rs.40.00 but not exceeding Rs.45.00	3237200	3075340	5179520	4920544	
19	Exceeding Rs.45.00 but not exceeding Rs.50.00	3042968	2890820	4868749	4625312	
20	Above Rs.50.00	3042968	2890820	4868749	4625312	

Note: In respect of Filter Khaini, the entry in column (2) against serial number 12 shall be read as "Rs. 10.01 and above".

Table-2

Sl. No. (1)	Retail sale price (per pouch) (2)	Capacity of production per packing machine per month for Jarda Scented Tobacco and Unmanufactured Tobacco (number of pouches)		
		Jarda Scented Tobacco	Unmanufactured Tobacco	
		Any speed (3)	Any speed (4)	
			Without lime tube / lime pouches (4a)	With lime tube / lime pouches (4b)
1	Up to Re.1.00	6988800	4992000	4742400
2	Exceeding Re.1.00 but not exceeding Rs.1.50	6988800	4992000	4742400
3	Exceeding Rs.1.50 but not exceeding Rs.2.00	6289920	4492800	4243200
4	Exceeding Rs.2.00 but not exceeding Rs.3.00	6289920	4492800	4243200
5	Exceeding Rs.3.00 but not exceeding Rs.4.00	5870592	4193280	3943680
6	Exceeding Rs.4.00 but not exceeding Rs.5.00	5870592	4193280	3943680
7	Exceeding Rs.5.00 but not exceeding Rs.6.00	5870592	4193280	3943680
8	Exceeding Rs.6.00 but not exceeding Rs.7.00	5591040	3993600	3744000
9	Exceeding Rs.7.00 but not exceeding Rs.8.00	5591040	3993600	3744000
10	Exceeding Rs.8.00 but not exceeding Rs.9.00	5591040	3993600	3744000
11	Exceeding Rs.9.00 but not exceeding Rs.10.00	5591040	3993600	3744000
12	Exceeding Rs.10.00 but not exceeding Rs.15.00	5255578	3753984	3566285

13	Exceeding Rs.15.00 but not exceeding Rs.20.00	4940243	3528745	3352308
14	Exceeding Rs.20.00 but not exceeding Rs.25.00	4643828	3317020	3151169
15	Exceeding Rs.25.00 but not exceeding Rs.30.00	4365199	3117999	2962099
16	Exceeding Rs.30.00 but not exceeding Rs.35.00	4103287	2930919	2784373
17	Exceeding Rs.35.00 but not exceeding Rs.40.00	3857090	2755064	2617311
18	Exceeding Rs.40.00 but not exceeding Rs.45.00	3625664	2589760	2460272
19	Exceeding Rs.45.00 but not exceeding Rs.50.00	3408124	2434375	2312656
20	Above Rs.50.00	3408124	2434375	2312656

(iii) in rule 6,-

(a) in sub-rule (1), in clause (x), after the word "number", the words "and details as per clause (vii)" shall be inserted;

(b) In sub-rule (2), after the word "approve the declaration", the words " including that of the maximum packing speed at which each of the packing machines available in his factory can be operated for packing of notified goods of various retail sale prices" shall be inserted.

(c) in sub-rule (3), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the annual capacity of production for the period from the 1st day of March, 2015 shall be re-determined by the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, within three working days of the coming into force of the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2015.";

(d) in sub-Rule (6), after the words "existing retail sale price", the words "or in case of commencement of manufacture of goods of a new retail sale price, the maximum packing speed at which the packing machines can be operated for packing of goods of such new retail sale price" shall be inserted;

(iv) in rule 9, -

(a) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that monthly duty payable for the month of March, 2015 shall be paid on or before the 15th day of March, 2015:";

(b) in the second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided also" shall be substituted;

(v) In rule 18, -

(a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of contraventions involving non-declaration of number of packing machines available in the premises of a manufacturer, the duty leviable in respect of such undeclared packing machines shall be determined on the basis of total number of undeclared packing machines found available in the premises, the highest retail sale price of the pouches manufactured with the aid of undeclared packing machines and the rate of duty per packing machine corresponding to the higher maximum packing speed as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2010-CE dated the 27th February, 2010." ;

(b) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words "premises of the unit" and ending with the words "unless", the words "premises of the unit, the retail sale price of the pouches manufactured with the aid of such packing machines and the rate of duty per packing machine corresponding to the highest maximum packing speed as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2010-CE dated the 27th February, 2010, and unless" shall be inserted.

(vii) in FORM – 1, in paragraph 14, after the word "number", the words "and details as per entry (11) " shall be inserted;

(viii) in FORM – 2, in paragraph 4,-

(a) in item (ii), after the words "each Retail Sale Price", the words "and the maximum packing speed at which such packing machines can be operated for packing of notified goods of that Retail Sale Price" shall be inserted;

(b) for item (iv), the following item shall be substituted, namely:-

"(iv) Break-up of total duty payment in cash for various duties is as per the Table below:-

Table

Sl. No.	Duty	unmanufactured Tobacco (Rs.)	Chewing tobacco other than filter khaini (Rs.)	Filter khaini (Rs.)	Jarda scented tobacco (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	The duty leviable under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1994)				
2	The additional duty of excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005)				
3	National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001)				
4	Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act, 2004 (23 of 2004)				
5	Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007)				

Illustration-Assuming that the total duty payable on chewing tobacco under section 3A of the Act for a particular month is Rs 10 lakh and that the CENVAT credit is available and is also utilised for payment of duty as per details given below, then, the details at (iv) above shall be as per column (6) of the table below

Table

Sl.No.	Duty	Break-up of total duty (as per duty ratios already prescribed)	CENVAT Credit Available	CENVAT Credit utilised for payment of duty	Cash pay-ment of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	The duty leviable under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944)	81390	10000	10000	71390
2	The additional duty of excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005)	6980	1000	1000	5980

3	National Calamity Contingent Duty leviable under section 5 of the Finance Act, 2001 (4 of 2001)	11630	1500	1500	10130
4	Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act, 2004 (23 of 2004)	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total Duty	100000	12500	12500	87500

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th February, 2010 by notification No. 11/2010-Central Excise (N.T.), dated the 27th February, 2010, *vide* number G.S.R.127(E), dated the 27th February, 2010 and were last amended by notification number 04/2014-Central Excise (N.T.), dated the 24th January, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R 59(E), dated the 24th January, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 5/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 150(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4. उत्पादन से सुसंगत कारक –विनिर्माता के कारखाने में पैंकिंग मशीनों की संख्या तथा वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है, अधिसूचित मालों के उत्पादन के लिए सुसंगत कारक होंगे ।"

(ii) नियम 5 में,--

(क) "अधिसूचित मालों की मात्रा" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "उक्त सारणी" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनका खुदरा कीमत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट है, ऐसी प्रचालित पैंकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित, जिसकी ऐसी अधिकतम पैकिंग गति, जिस पर उसका प्रचालन अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है, नीचे दी गई सारणी के यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट है, प्रति मास वह मानी जाएगी, जो उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समान है" ;

(ख) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

		प्रति प्रचालनकारी पैंकिंग मशीन प्रति मास पाउचों की संख्या		
क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मिनट 300 पाउचों तक	प्रति मिनट 301 से 750 पाउचों तक	प्रति मिनट 751 और उससे अधिक पाउच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.00 रुपए तक	6864000	11232000	24960000
2.	1.01 रुपए से 1.50 रुपए तक	6864000	11232000	24960000
3.	1.51 रुपए से 2.00 रुपए तक	6520800	10670400	23712000
4.	2.01 रुपए से 3.00 रुपए तक	6520800	10670400	23712000
5.	3.01 रुपए से 4.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
6.	4.01 रुपए से 5.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
7.	5.01 रुपए से 6.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
8.	6.00 रुपए से अधिक	6177600	10108800	22464000

(iii) नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) में के खंड (x) में, "और संख्या", शब्द के पश्चात् "और उपरोक्त खंड (vii) के अनुसार ब्यौरे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, "घोषणा का अनुमोदन", शब्द के पश्चात् "जिसके अंतर्गत वह अधिकतम पैंकिंग गति है जिस पर उसके कारखाने में उपलब्ध प्रत्येक पैंकिंग मशीन का प्रचालन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) में,--

दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि 1 मार्च, 2015 से अवधि के लिए उत्पादन की वार्षिक क्षमता का पुन: अवधारण, यथास्थिति, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2015 के प्रवृत्त होने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ।";

(घ) उपनियम (6) में, "विद्यमान खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "या किसी नई खुदरा विक्रय कीमत वाले माल का विनिर्माण प्रारंभ होने की दशा में वह अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर पैंकिंग मशीनों का ऐसी नई खुदरा विक्रय कीमत वाले माल की पैकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 9 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि मार्च, 2015 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया जाएगा ;";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 17 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसे किसी विनिर्माता के परिसर में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों की संख्या की गलत घोषणा अंतर्वलित करने वाले उल्लंघनों की दशा में, ऐसी अघोषित पैंकिंग मशीनों की बाबत शुल्क के दायित्वों का अवधारण इकाई के परिसर में उपलब्ध पाई गई अघोषित पैंकिंग मशीनों की कुल संख्या, ऐसी पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत तथा भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2008-के.उ. तारीख 1 जुलाई, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट है, उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति की तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर के आधार पर किया जाएगा ।"

(ख) उपनियम (2) में, "इकाई का परिसर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "सिवाय" शब्द पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "इकाई का परिसर, ऐसी पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की खुदरा विक्रय कीमत और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में अधिसूचना सं. 42/2008-के.उ. तारीख 1 जुलाई, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति के तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर और सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) प्ररुप 1 में, पैरा 14 में "संख्या" शब्द के पश्चात् "प्रविष्टि (11) के अनुसार और ब्यौरे" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) प्ररुप 2 में, प्रविष्टि 4 में,--

(क) मद (ii) में "प्रत्येक खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "और वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का उस खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(iv) विभिन्न शुल्कों के बीच प्रभाजन के लिए शुल्क के संदाय का अलग-अलग मूल्य नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार है :--

क्रम सं.	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)	पान मसाला, जिसमें तंबाकू अंतर्विष्ट है, के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.3556		0.814	
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1333		0.0698	
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकास्मिक आपदा शुल्क	0.5111		0.1162	
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0		0.0	
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0		0.0”	

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 491(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. 30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 22/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 457(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 5/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination And Collection of Duty) Rules, 2008, -

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

" 4. Factors relevant to production.– The factors relevant to the production of notified goods shall be the number of packing machines in the factory of the manufacturer and the maximum packing speed at which such packing machines can be operated for packing of notified goods of various retail sale prices.";

(ii) in rule 5,-

(a) for the portion beginning with the words "The quantity of notified goods" and ending with the words "the said Table", the following shall be substituted, namely:-

"The quantity of notified goods, having retail sale price as specified in column (2) of the Table below, deemed to be produced by use of one operating packing machine, having maximum packing speed at which it can be operated for packing of notified goods as specified in column (3) or column (4) or column (5) of the Table below, as the case may be, per month shall be as is equal to the corresponding entry specified in column (3) or column (4) or column (5) of the said Table, as the case may be";

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

		Number of pouches per operating packing machine per month		
Sl. No.	Retail sale price (per pouch)	Upto 300 pouches per minute	301 to 750 pouches per minute	751 pouches per minute and above
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Up to Rs. 1.00	6864000	11232000	24960000
2.	From Rs. 1.01 to Rs. 1.50	6864000	11232000	24960000
3.	From Rs. 1.51 to Rs. 2.00	6520800	10670400	23712000
4.	From Rs. 2.01 to Rs. 3.00	6520800	10670400	23712000
5.	From Rs. 3.01 to Rs. 4.00	6314880	10333440	22963200
6.	From Rs. 4.01 to Rs. 5.00	6314880	10333440	22963200
7.	From Rs. 5.01 to Rs. 6.00	6314880	10333440	22963200
8.	Above Rs. 6.00	6177600	10108800	22464000";

(iii) in rule 6,-

(a) in sub-rule (1), in clause (x), after the word "number", the words "and details as per clause (vii) " shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), after the words "approve the declaration", the words " including that of the maximum packing speed at which each of the packing machines available in his factory can be operated for packing of notified goods of various retail sale prices" shall be inserted.

(c) in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the annual capacity of production for the period from the 1st day of March, 2015 shall be re-determined by the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, within three working days of the coming into force of the Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) (Amendment) Rules, 2015.";

(d) in sub-rule (6), after the words "existing retail sale price", the words "or in case of commencement of manufacture of goods of a new retail sale price, the maximum packing speed at which the packing machines can be operated for packing of goods of such new retail sale price" shall be inserted;

(iv) in rule 9,

(a) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that monthly duty payable for the month of March, 2015 shall be paid on or before the 15th day of March, 2015:" ;

(b) in the second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided also" shall be substituted;

(v) in rule 17,-

(a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of contraventions involving non-declaration of number of packing machines available in the premises of a manufacturer, the duty leviable in respect of such undeclared packing machines shall be determined on the basis of total number of undeclared packing machines found available in the premises, the highest retail sale price of the pouches manufactured with the aid of undeclared packing machines and the rate of duty per packing machine corresponding to the higher maximum packing speed as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2008-CE dated the 1st July, 2008."

(b) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words "premises of the unit" and ending with the words "unless", the words "premises of the unit, the retail sale price of the pouches manufactured with the aid of such packing machines and the rate of duty per packing machine corresponding to the highest maximum packing speed as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2008-CE dated the 1st July, 2008 and unless" shall be substituted;

(vi) in FORM – 1, in paragraph 14, after the word "number", the words "and details as per entry (11)" shall be inserted;

(vii) in FORM – 2, in paragraph 4, -

(a) in item (ii), after the word and letters "each RSP", the words "and the maximum packing speed at which such packing machines can be operated for packing of notified goods of that retail sale price" shall be inserted;

(b) for item (iv), the following item shall be substituted, namely:-

"(iv) Break-up of duty payment for apportionment between various duties is as per details below:-

Sl. No.	Duty	Duty ratio for pan masala	Duty paid (in rupees)	Duty ratio for pan masala containing tobacco	Duty paid (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	The duty leviable under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944)	0.3556		0.814	
2	The additional duty of excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005)	0.1333		0.0698	
3	National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001)	0.5111		0.1162	
4	Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act, 2004 (23 of 2004)	0.0		0.0	
5	Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007)	0.0		0.0"	

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st July, 2008 by notification No. 30/2008-Central Excise (N.T.), dated the 1st July, 2008, *vide* number G.S.R.491(E), dated the 1st July, 2008 and last amended by notification No. 22/2014-Central Excise (N.T.), dated the 11th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 457(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 6/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. 151(अ) .— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) अन्त में और प्रथम परन्तुक के पूर्व आने वाले "निर्गत सेवा का प्रदाता" शब्दों के पश्चात् "या जॉब कर्मकार के परिसर में यदि माल यथास्थिति विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) तीसरे परन्तुक में "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) में "कारखाने में आबद्ध उपयोग के लिए" शब्दों के पश्चात् "या जॉब कर्मकार के परिसर में, यदि पूंजीगत माल यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर सीधे जॉब कर्मकार के पास भेजा जाता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (5) में खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) (i) निवेशों पर सेनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई निवेश उस रूप में या आंशिक रूप से प्रक्रमण किए जाने के पश्चात् किसी जॉब कर्मकार को भेजा जाता है और वहां से बाद में आगे प्रक्रमण, परीक्षण, मरम्मत, पुनरानुकूलन के लिए या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती माल के विनिर्माण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य जॉब कर्मकार के पास भेजा जाता है, और विनिर्माता या सेनवेट प्रत्यय लेने वाले निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, चलानों या ज्ञापनों से यह सिद्ध होता है कि निवेश या उससे उत्पादित उत्पाद यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा यथास्थिति, निर्गत सेवा के प्रदाता के कारखाने या परिसर से भेजे जाने से एक सौ अस्सी दिन के भीतर वापस प्राप्त हो जाता है:

परन्तु प्रत्यय तब भी अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई निवेश यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में पहले लाए बिना जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है और ऐसी दशा में एक सौ अस्सी दिन की अवधि की गणना जॉब कर्मकार द्वारा निवेश की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।"

(ii) पूंजीगत माल पर सेनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई पूंजीगत माल उस रूप में किसी जॉब कर्मकार को आगे प्रक्रमण, परीक्षण, मरम्मत, पुनरानुकूलन के लिए या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती माल के विनिर्माण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भेजा जाता है और विनिर्माता या सेनवेट प्रत्यय लेने वाले निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, चलानों या ज्ञापनों से यह सिद्ध होता है कि पूंजीगत

माल, यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इस प्रकार भेजे जाने से दो वर्ष के भीतर वापस प्राप्त हो जाता है:

परन्तु प्रत्यय तब भी अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई पूंजीगत माल यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में पहले लाए बिना जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है और ऐसी दशा में दो वर्ष की अवधि की गणना जॉब कर्मकार द्वारा पूंजीगत माल की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ;

(iii) यदि यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा यथास्थिति, उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता सेनवेट प्रत्यय के विकलन द्वारा या अन्यथा यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल पर लगने वाले सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम जमा करेगा किन्तु विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता तब पुनः सेनवेट प्रत्यय ले सकेगा जब यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल निर्गत सेवा के प्रदाता के कारखाने या परिसर में वापस प्राप्त हो जाता है ।";

(घ) उपनियम (7) में,--

(i) पहले, दूसरे और तीसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परन्तु ऐसी निवेश सेवा का बाबत जहां संपूर्ण सेवा कर या उसके भाग का संदाय करने के लिए सेवा का प्राप्तिकर्ता दायी है वहां सेवा प्राप्तिकर्ता द्वारा संदेय सेवा कर का प्रत्यय ऐसे सेवा कर का संदाय किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि बीजक बिल या यथास्थिति, नियम 9 में निर्दिष्ट चालान में यथा उपदर्शित संदत्त या संदेय निवेश सेवा के मूल्य और सेवा कर का संदाय की दशा में, बीजक बिल या यथास्थिति, चालान की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसा विनिर्माता या सेवा प्रदाता जिसने ऐसी निवेश सेवा पर प्रत्यय लिया है ऐसे कर के, जिसका संदाय विनिर्माता या सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, सेनवेट प्रत्यय के बराबर रकम के सिवाय ऐसी निवेश सेवा पर लिए गए सेनवेट प्रत्यय के बराबर रकम का संदाय करेगा और यदि उक्त संदाय कर दिया जाता है, की दशा में, यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा प्रदाता इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इससे पूर्व संदत्त सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम का प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।";

(ii) छठे परन्तुक में "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 1 और 2 में, "उपनियम" शब्द के स्थान पर, "नियम" शब्द रखा जाएगा;

3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्पष्टीकरण 1 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) "निर्यात माल" से ऐसा कोई माल अभिप्रेत है जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाना है ।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (i) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 2 के खंड (घ) और (ज) में यथा परिभाषित छूटप्राप्त माल या अंतिम उत्पादों में कारखाने से प्रतिफल के लिए निकासी किए गए गैर-उत्पादशुल्क्य माल भी आते हैं ।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, गैर-उत्पादशुल्कय माल का मूल्य बीजक मूल्य होगा और जहां ऐसा बीजक मूल्य उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे मूल्य का अवधारण उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट मूल्यांकन के सिद्धान्तों से संगत युक्तियुक्त माध्यमों का प्रयोग करके किया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु इस उपनियम के उपबंध ऐसे आयातकर्ता को जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर सेनवेट प्रत्यय लिया जा सकता है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

6. उक्त नियमों के नियम 12कक में,--

(क) "किसी विनिर्माता पर निर्बंधन" शब्दों के पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की दशा में" शब्दों के पश्चात् "कोई आयातकर्ता या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों में नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14. गलती से लिए गए या भूल से प्रतिदत्त सेनवेट प्रत्यय की वसूली—

(1) (i) जहां सेनवेट प्रत्यय गलती से लिया गया है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया है वहां उसकी वसूली यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता से की जाएगी और यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनयम की धारा 11क या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73 के उपबंध ऐसी वसूलियां करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ;

(ii) जहां सेनवेट प्रत्यय लिया गया है और उसका उपयोग गलत तौर पर किया गया है या उसे भूल से प्रतिदत्त कर दिया गया है वहां उसकी ब्याज सहित वसूली यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता से की जाएगी और यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनयम की धारा 11क और 11कक या वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 और धारा 75 के उपबंध ऐसी वसूलियां करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एक मास के दौरान लिए गए सभी प्रत्ययों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मास के अंतिम दिन में लिए गए हैं और उसके उपयोग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निम्नलिखित रीति में उत्पन्न हुआ है, अर्थात्:--

(i) मास के आरंभिक अतिशेष का उपयोग पहले किया गया है ;

(ii) मास के दौरान इन नियमों के निबंधनानुसार अनुज्ञेय प्रत्यय का उपयोग बाद में किया गया है;

(iii) मास के दौरान लिए गए इन नियमों के निबंधनानुसार अननुज्ञेय प्रत्यय का उपयोग इसके पश्चात् किया गया है ।"

8. उक्त नियमों के नियम 15 में, उस तारीख से जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है,--

(क) उपनियम (1) में "यथास्थिति, ऐसे माल या सेवाओं पर शुल्क या सेवा कर से अनधिक या दो हजार रुपए, इन में से जो भी अधिक हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 76 की उपधारा (1) के निबंधनानुसार, दायी होगा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङः)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में "धारा 78 के उपबंधों के अनुसार शास्ति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 78 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार शास्ति" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 26/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि. 619(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 6/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : –

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of March, 2015.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, –

(a) in sub-rule (1), –

(i) after the words "the provider of output service" , occurring at the end and before the first proviso, the words "or in the premises of the job worker, in case goods are sent directly to the job worker on the direction of the manufacturer or the provider of output service, as the case may be," shall be inserted;

(ii) in the third proviso, for the words "six months", the words "one year" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (a), after the words "for captive use within the factory," the words "or in the premises of the job worker, in case capital goods are sent directly to the job worker on the direction of the manufacturer or the provider of output service, as the case may be," shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: –

"(a) (i) The CENVAT credit on inputs shall be allowed even if any inputs as such or after being partially processed are sent to a job worker and from there subsequently sent to another job worker and likewise, for further processing, testing, repairing, re-conditioning or for the manufacture of intermediate goods necessary for the manufacture of final products or any other purpose, and it is established from the records, challans or memos or any other document produced by the manufacturer or the provider of output service taking the CENVAT credit that the inputs or the products produced therefrom are received back by the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, within one hundred and eighty days of their being sent from the factory or premises of the provider of output service, as the case may be:

Provided that credit shall also be allowed even if any inputs are directly sent to a job worker without their being first brought to the premises of the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, and in such a case, the period of one hundred and eighty days shall be counted from the date of receipt of the inputs by the job worker;

(ii) the CENVAT credit on capital goods shall be allowed even if any capital goods as such are sent to a job worker for further processing, testing, repair, re-conditioning or for the manufacture of intermediate goods necessary for the manufacture of final products or any other purpose, and it is established from the records, challans or memos or any other document produced by the manufacturer or the provider of output service taking the CENVAT credit that the capital goods are received back by the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, within two years of their being so sent:

Provided that credit shall be allowed even if any capital goods are directly sent to a job worker without their being first brought to the premises of the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, and in such a case, the period of two years shall be counted from the date of receipt of the capital goods by the job worker;

(iii) if the inputs or capital goods, as the case may be, are not received back within the time specified under sub-clause (i) or (ii), as the case may be, by the manufacturer or the provider of output service, the manufacturer or the provider of output service shall pay an amount equivalent to the CENVAT credit attributable to the inputs or capital goods, as the case may be, by debiting the CENVAT credit or otherwise, but the manufacturer or the provider of output service may take the CENVAT credit again when the inputs or capital goods, as the case may be, are received back in the factory or in the premises of the provider of output service.";

(d) in sub-rule (7), –

(i) for the first, second and third provisos, the following provisos shall be substituted, with effect from the 1st day of April 2015, namely:-

"Provided that in respect of input service where whole or part of the service tax is liable to be paid by the recipient of service, credit of service tax payable by the service recipient shall be allowed after such service tax is paid:"

"Provided further that in case the payment of the value of input service and the service tax paid or payable as indicated in the invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9 is not made within three months of the date of the invoice, bill or, as the case may be, challan, the manufacturer or the service provider who has taken credit on such input service, shall pay an amount equal to the CENVAT credit availed on such input service, except an amount equal to the CENVAT credit of the tax that is paid by the manufacturer or the service provider as recipient of service, and in case the said payment is made, the manufacturer or output service provider, as the case may be, shall be entitled to take the credit of the amount equivalent to the CENVAT credit paid earlier subject to the other provisions of these rules:";

(ii) in the sixth proviso, for the words "six months", the words "one year" shall be substituted;

(iii) in the Explanations I and II, for the words "sub-rule", the word "rule" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 5, in Explanation 1, after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:–

"(1A) "export goods" means any goods which are to be taken out of India to a place outside India.".

4. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), after the proviso, the following Explanations shall be inserted, namely: –

"Explanation 1. – For the purposes of this rule, exempted goods or final products as defined in clauses (d) and (h) of rule 2 shall include non-excisable goods cleared for a consideration from the factory.

Explanation 2. – Value of non-excisable goods for the purposes of this rule, shall be the invoice value and where such invoice value is not available, such value shall be determined by using reasonable means consistent with the principles of valuation contained in the Excise Act and the rules made thereunder.".

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted at the end, namely:–

"Provided that provisions of this sub-rule shall apply *mutatis mutandis* to an importer who issues an invoice on which CENVAT credit can be taken.".

6. In the said rules, in rule 12AAA, –

(a) after the words "restrictions on a manufacturer" , the words "registered importer," shall be inserted.

(b) after the words "suspension of registration in case of" , the words "an importer or" shall be inserted.

7. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:—

"14. Recovery of CENVAT credit wrongly taken or erroneously refunded. –

(1) (i) Where the CENVAT credit has been taken wrongly but not utilised, the same shall be recovered from the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, and the provisions of section 11A of the Excise Act or section 73 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), as the case may be, shall apply *mutatis mutandis* for effecting such recoveries;

(ii) Where the CENVAT credit has been taken and utilised wrongly or has been erroneously refunded, the same shall be recovered along with interest from the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, and the provisions of sections 11A and 11AA of the Excise Act or sections 73 and 75 of the Finance Act, 1994, as the case may be, shall apply *mutatis mutandis* for effecting such recoveries.

(2) For the purposes of sub-rule (1), all credits taken during a month shall be deemed to have been taken on the last day of the month and the utilisation thereof shall be deemed to have occurred in the following manner, namely: -

(i) the opening balance of the month has been utilised first;

(ii) credit admissible in terms of these rules taken during the month has been utilised next;

(iii) credit inadmissible in terms of these rules taken during the month has been utilised thereafter.".

8. In the said rules, in rule 15, with effect from the date on which the Finance Bill, 2015 receives the assent of the President, –

(a) in sub-rule (1), for the words "not exceeding the duty or service tax on such goods or services, as the case may be, or two thousand rupees, whichever is greater.", the words, brackets, figures and letters "in terms of clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 11AC of the Excise Act or sub-section (1) of section 76 of the Finance Act (32 of 1994), as the case may be" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words, figures and letters "section 11AC of the Excise Act." , the words, brackets, figures and letters "clause (c), clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of section 11AC of the Excise Act." shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words and figures "penalty in terms of the provisions of section 78" , the words brackets and figures "penalty in terms of the provisions of sub-section (1) of section 78" shall be substituted.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E) dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 26/2014 - Central Excise (N.T.) dated 27th August, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), by number G.S.R. 619 (E), dated the 27th August, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं. 7/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 152(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (1) और उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 464(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना के खंड (1) में, "उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में" शब्दों और अंक के स्थान पर, "वेबसाइट www.aces.gov.in में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंधित प्ररूप में" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिसूचना में, खंड (3) से खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(3) **आवेदन का आनलाइन फाइल किया जाना :** रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए आवेदन या रजिस्ट्रीकरण आवेदन में संशोधन के लिए कोई आवेदन केवल वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए प्ररूपों में ही फाइल किया जाएगा ।

(4) **पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण** : (i) आवेदक द्वारा आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट स्तंभ में स्वत्वधारी या विधिक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक को उत्कथित करना आज्ञापक है । सरकारी विभागों को उनके आनलाइन आवेदनों में पैन को उत्कथित करने की अपेक्षा से छूट है । सरकारी विभागों से भिन्न आवेदकों को पैन की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(ii) सरकारी विभागों के सिवाय, विद्यमान अस्थायी रजिस्ट्रीकृत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर अस्थायी रजिस्ट्रीकरण को पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण में संपरिवर्तित करने के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें असफल रहने पर अस्थायी रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा :

परन्तु यदि आवेदक तीन मास की अवधि से परे, समय विस्तार के लिए कोई आवेदन करता है तो आवेदक द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी आवेदक को वैयक्तिक रूप से सुने जाने पर पैन आधारित रजिस्ट्रीकरण में अंतरण के लिए एक मास का और समय प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई निर्धारिती तीन मास की अवधि से परे कोई आवेदन करता है तो उसे अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा और तत्पश्चात् अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसको पुनःप्रवर्तित करने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाएगा ।

(5)(i) **आवेदक द्वारा ई-मेल और मोबाइल सं0 का उत्कथित किया जाना** : आवेदक विभाग के साथ संपर्क करने के लिए आवेदन के अपेक्षित स्तंभ में अपना ई-मेल पता और मोबाइल सं0 उत्कथित करेगा । विद्यमान रजिस्ट्रीकर्ता जिन्होंने ई-मेल और मोबाइल सं0 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए संशोधन आवेदन को प्रस्तुत करेगा ।

(ii) **कारबार संव्यवहार सं0** : अन्य सरकारी विभागों या अभिकरणों से अभिप्राप्त कारबार संव्यवहार सं0 जैसे सीमाशुल्क रजिस्ट्रीकरण सं0 (बीआईएन सं0), आयात-निर्यात कोट (आईईसी) सं0, राज्य बिक्री कर/(वैट) सं0, केन्द्रीय बिक्री कर सं0 कंपनी इंडेक्स सं0 (सीआईएन), सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं0 जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण आवेदन फाइल करने से पूर्व जारी की गई हैं, को प्ररूप में भरा जाएगा और पश्चात्वर्ती रूप से अभिप्राप्त संख्यांक के लिए आवेदन को संशोधित किया जाएगा । विद्यमान रजिस्ट्रीकृत जिन्होंने कारबार संव्यवहार संख्याकों के

संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वेबसाइट www.aces.gov.in में दिए गए अनुसार संशोधन आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(6) **रजिस्ट्रीकरण संख्याक और प्रमाणपत्र** : प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा परिसरों और दस्तावेजों के कार्योत्तर सत्यापन के लंबन के दौरान, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का अनुमोदन उपायुक्त या सहायक उपायुक्त द्वारा सम्यक् रूप से पूर्ण आनलाइन आवेदन प्ररूप की प्राप्ति के दो दिन के भीतर किया जाएगा । रजिस्ट्रीकरण संख्याक वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आनलाइन जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मुद्रित प्रति जिसे www.aces.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है, रजिस्ट्रीकरण का पर्याप्त सबूत होगी तथा उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं होगी ।

(7) **दस्तावेजों को प्रस्तुत करना :** आवेदक परिसरों के सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां देगा :

(i) कारखाना परिसरों की योजना;

(ii) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या विधिक अस्तित्व के पैन कार्ड की प्रति;

(iii) आवेदक का चित्र और पहचान का सबूत;

(iv) रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले परिसरों के कब्जे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज;

(v) बैंक खाता के ब्यौरे;

(vi) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद और निदेशकों की सूची ; और

(vii) तृतीय पक्षकार द्वारा आवेदन फाइल करने के लिए निदेशक बोर्ड या भागीदारों या स्वत्वधारी को प्राधिकरण ।

(8) **भौतिक सत्यापन**: (i) प्राधिकृत अधिकारी आनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर भौतिक रूप से परिसरों का सत्यापन करेगा । प्राधिकृत अधिकारी को त्रुटि के तुरन्त निराकरण के लिए जहां सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ध्यान में आई त्रुटियों या किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा है, प्राधिकृत अधिकारी को तत्काल जानकारी की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारिती को जानकारी देगा, जिसमें असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा । निर्धारिती को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामलों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा दिए गए कारण युक्तियुक्त है तो प्राधिकृत अधिकारी परिसर के रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(ii) परिसरों के भौतिक सत्यापन पर, यदि वह विद्यमान नहीं पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा । निर्धारिती को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपना मामले का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा दिए गए कारण युक्तियुक्त है तो प्राधिकृत अधिकारी परिसरों के पूर्ण और सही पते को अभिलिखित करते हुए परिसर के रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(9) **कारबार का अन्तरण या कारखाने का अर्जन** : जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार को अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर देता है, अन्तरिती स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा, जहां किसी आवेदक ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी पुराने कारखाने का अर्जन किया है वह स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(10) गठन में परिवर्तन : जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई फर्म या कोई कंपनी या व्यक्तियों का संगम है, तब फर्म के गठन में किसी परिवर्तन की दशा में, जिससे पैन में परिवर्तन होता है तो वह स्वयं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत करेगा । कारबार के गठन में परिवर्तन के अन्य मामलों में जहां पैन में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसकी संसूचना ऐसे परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को वेबसाइट www.aces.gov.in में किए गए रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों को संशोधन के द्वारा आनलाइन करने को संसूचित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण संख्याक में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(11) **रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति :** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उस कारबार को करने से विरत हो जाता है, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है वह विनिर्दिष्ट प्ररूप में वेबसाइट www.aces.gov.in पर आनलाइन आवेदन करके स्वयं का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करेगा । जहां निर्धारिती से किन्हीं शोध्यों की बसूली लंबित नहीं है तो रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए आवेदन को आनलाइन घोषणा फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अनुमोदित किया जाएगा तथा तदनुसार निर्धारिती को सूचित किया जाएगा ।

(12) **रजिस्टीरकरण को रद्द करना** : नियम 9 के अधीन अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निर्धारिती को उपायुक्त या सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामले के संबंध में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके रद्द किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(i) जहां सत्यापन पर, रजिस्ट्रीकृत होने को प्रस्तावित परिसर विद्यमान नहीं पाया जाता है ;

(ii) जब निर्धारिती परिसरों के सत्यापन के दौरान ध्यान में आई त्रुटियों के निराकरण के लिए अनुरोध पर सूचना दिए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्युत्तर नहीं देता है ;

(iii) जहां आवेदन प्ररूप में सारवान् गलत घोषणा है ; और

(v) जहां कारखाना बन्द हो चुका है और निर्धारिती के विरुद्ध कोई शोध्य लंबित नहीं है ।"।

3. यह अधिसूचना तारीख 1-3-2015 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 35/2001- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 464(अ) तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि. सं. 136(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मालों का विनिर्माता विहित रीति में समुचित अधिकारी के पास स्वयं को रजिस्टर करेगा । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2002 का नियम 9 ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए और उपबंध करता है तथा नियम 9 का उपनियम (3) बोर्ड को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें, सुरक्षोपाय और प्रक्रिया विहित करने के लिए सशक्त करता है । नियम 9 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड ने अधिसूचना सं. 35/2001 केउ (एनटी) तारीख 26-6-2001 रजिस्ट्रीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया विहित करते हुए जारी की थी । समय-समय पर इस अधिसूचना को संशोधित किया गया है, अंतिम संशोधन 43/2008-केउ (एनटी) तारीख 6-10-2008 है । यह अधिसूचना अब अधिसूचना सं. 35/2001 केउ (एनटी) तारीख 26-6-2001 को निम्नलिखित द्वारा और संशोधित करने के लिए है—

(क) मुख्य अधिसूचना के खंड 1 में, "उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में" शब्दों और अंक के स्थान पर "वेबसाइट www.aces.gov.in में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंधित प्ररूप में" शब्द रख कर,

(ख) मुख्य अधिसूचना में 3 से खंड 7 के स्थान पर खंड 3 से खंड 12 को रख कर ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 7/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rules (1) and (3) of rule 9 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 35/2001-Central Excise (N.T.) [hereinafter referred to as the said notification], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.464 (E) dated the 26th June,2001, namely:—

1. In the said notification, in clause (1), for the words and figure "in the form specified in Annexure-1" the words "in the form provided for registration in the website www.aces.gov.in" shall be substituted.

2. In the said notification, for clauses (3) to (7) the following clauses shall be substituted, namely:—

"**(3) Online filing of application**: Application for registration or de-registration or amendment of the registration application shall be filed only online on the website www.aces.gov.in, in the forms provided in the website.

(4) PAN based Registration: (i) Applicant for registration shall mandatorily quote Permanent Account Number (PAN) of the proprietor or the legal entity being registered in the specified column in the application form. Government Departments are exempt from the requirement of quoting the PAN in their online application. Applicants other than Government Departments shall not be granted registration in the absence of PAN.

(ii) Existing temporary registrants, except Government Departments shall apply online for conversion of temporary registration to PAN based registration within three months from the date of publication of this notification, failing which the temporary registration shall stand cancelled:

Provided that if the applicant makes an application for extension of time beyond the period of three months, the jurisdictional authority on the basis of the reasons given by the applicant and upon hearing the applicant in person, grant further time of one month for migration to the PAN based registration:

Provided further that if the assessee makes an application beyond the period of three months, he shall be given an opportunity of being heard to represent his case and thereafter pass an order by the jurisdictional authority regarding cancellation or revival of the registration.

(5) (i) Applicant to quote e-mail address and mobile number: Applicant shall quote his e-mail address and mobile number in the requisite column of the application form for communication with the Department. Existing registrants who have not submitted information regarding e-mail address and mobile number shall submit an amendment application provided in the website www.aces.gov.in within three months from the date of publication of this notification.

(ii) Business Transaction Numbers : Business transaction numbers obtained from other Government departments or agencies such as Customs Registration No (BIN No), Import Export Code (IEC) Number, State Sales Tax /(VAT) Number, Central Sales Tax Number, Company Index Number (CIN), Service Tax Registration Number, which have been issued prior to the filing of Central Excise Registration application, shall be filled in the form and for the numbers subsequently obtained, the application shall be amended. Existing registrants who have not submitted information regarding Business Transaction Number shall submit an amendment application provided in the website www.aces.gov.in within three months from the date of publication of this notification.

(**6) Registration Number and Certificate**: Pending *post-facto* verification of premises and documents by the authorized Officers, registration application shall be approved by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner within two days of the receipt of duly completed online application form. A Registration Certificate containing registration number shall be issued online and a printed copy of the Registration Certificate which was issued online through the website

www.aces.gov.in shall be adequate proof of registration and the signature of the issuing authority is not required on the said Registration Certificate.

(7) Submission of documents: The applicant shall tender self attested copies of the following documents at the time of verification of the premises:

(i) Plan of the factory premises;

(ii) Copy of the PAN Card of the proprietor or the legal entity registered;

(iii) Photograph and Proof of the identity of the applicant;

(iv) Documents to establish possession of the premises to be registered;

(v) Bank account details;

(vi) Memorandum or Articles of Association and List of Directors; and

(vii) Authorization by the Board of Directors or Partners or Proprietor for filing the application by a third party.

(8) Physical verification: (i) The authorized officer shall verify the premises physically within seven days from the date of receipt of application through online. Where errors are noticed during the verification process or any clarification is required, the authorized Officer shall immediately intimate the same to the assessee for rectification of the error within fifteen days of the receipt of intimation failing which the registration shall stand cancelled. The assessee shall be given a reason opportunity to represent his case against the proposed cancellation, and if it is found that the reasons given by the assessee are reasonable, the authorized Officer shall not cancel the registration to the premises.

(ii) On the physical verification of the premises, if it is found to be non-existent, the registration shall stand cancelled. The assessee shall be given a reason opportunity to represent his case against the proposed cancellation, and if it is found that the reasons given by the assessee are reasonable, the authorized Officer shall not cancel the registration to the premises recording the complete and correct address.

(9) Transfer of Business or acquisition of factory: Where a registered person transfers his business to another person, the transferee shall get himself registered afresh. Where an applicant has acquired an old factory from a Bank or a Financial Institution, he shall get himself registered afresh.

(10) Change in the Constitution: Where a registered person is a firm or a company or association of persons, then in the event of any change in the constitution of the firm leading to change in PAN, he shall get himself registered afresh. In other cases of change in constitution of business, where there is no change in PAN, the same shall be intimated to the jurisdictional Central Excise Officer within thirty days of such change by way of amendment to the registration details to be carried out online in website www.aces.gov.in and this will not result in any change in the registration number.

(11) De-registration: Every registered person, who ceases to carry on the business for which he is registered, shall de-register himself by making an online application in the website www.aces.gov.in, in the form specified in the website. Where there are no dues pending recovery from the assessee, application for de-registration shall be approved within thirty days from the date of filing of online declaration and the assessee shall be informed, accordingly.

(12) Cancellation of registration: A registration certificate granted under rule 9 may be cancelled after giving a reasonable opportunity to the assessee to represent his case against the proposed cancellation by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Central Excise, in any of the following situations, namely:—

(i) where on verification, the premises proposed to be registered is found to be non-existent;

(ii) where the assessee does not respond to request for rectification of error noticed during the verification of the premises within fifteen days of intimation;

(iii) where there is substantial mis-declaration in the application form; and

(iv) where the factory has closed and there are no dues pending against the assessee .".

3. The notification shall come into effect from 01.03.2015.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.-The principal notification No. 35/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 464(E), dated the 26th June, 2001 and was last amended by notification No. 10/2014-Central Excise (N.T.), dated the 28th February, 2014, *vide* number G.S.R. 136(E), dated the 28th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 8/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (4) में "और उपनियम (3) के अधीन ब्याज" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "और इन नियमों के अधीन फाइल की गई विवरणी में उल्लिखित, उपनियम (3) के अधीन ब्याज और उपनियम (3क) के अधीन शास्ति" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(4) इस नियम के अधीन अभिलेख इलैक्ट्रानिक रूप में परिरक्षित रखा जाएगा और इस प्रकार परिरक्षित अभिलेख का प्रत्येक पृष्ठ को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित अभिलेख परिरक्षित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली शर्तें, रक्षोपाय और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।''

4. उक्त नियमों के नियम 11 में,--

(क) उपनियम (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि यदि माल किसी जॉब कर्मकार को किसी विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर सीधे भेजा जाता है तो बीजक में यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के ब्यौरे भी क्रेता के रूप में अन्तर्विष्ट होंगे और जॉब कर्मकार के ब्यौरे परेषिती के रूप अन्तर्विष्ट होंगे :

परन्तु यह भी कि यदि माल रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के निदेश पर किसी व्यक्ति को सीधे भेजा जाता है तो बीजक में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के ब्यौरे भी क्रेता के रूप में और उस व्यक्ति के ब्यौरे परेषिती के रूप में अन्तर्विष्ट होंगे और वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के बीजक के आधार पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लेगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्रवेशपत्र के अधीन आयातित माल क्रेता के परिसर में सीधे भेजा जाता है तो आयातकर्ता द्वारा जारी बीजक में यह उल्लेख होगा कि माल आयात के स्थान या पत्तन से सीधे क्रेता के परिसर में भेजा गया है;"

(ख) उपनियम (7) में "द्वारा प्रदाय किया गया माल" शब्दों के पश्चात् "ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है, या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(8) किसी विनिर्माता द्वारा इस नियम के अधीन जारी किया गया बीजक अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जा सकेगा :

परन्तु जहां परिवहनकर्ता के लिए अभिप्रेत बीजक की दूसरी प्रति अंकीय रूप से हस्ताक्षरित है वहां परिवहनकर्ता के लिए अभिप्रेत बीजक की दूसरी प्रति की हार्ड प्रति और विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणित प्रति का प्रयोग माल के परिवहन के लिए किया जाएगा ।

(9) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित बीजक का उपयोग करने के लिए अनुसरण की जाने वाली शर्तें, रक्षोपाय और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—नियम 10 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अधिप्रमाणित", "अंकीय हस्ताक्षर" और "इलैक्ट्रानिक रूप" अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में क्रमशः उनके हैं ।"

5. उक्त नियमों के नियम 12 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6) जहां इस नियम में निर्दिष्ट कोई विवरणी या वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण या वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता विवरण निर्धारिती द्वारा प्रत्येक विवरणी या विवरण के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है वहां निर्धारिती ऐसी प्रत्येक विवरणी या विवरण के प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के खाते में अधिकतम बीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए प्रति दिन एक सौ रुपए की दर पर संगणित रकम जमा करेगा ।"

6. उक्त नियमों के नियम 12गगग में,--

(क) "निर्माता" शब्द के पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की दशा में" शब्दों के पश्चात् "कोई आयातकर्ता या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 17 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6) जहां निर्धारिती द्वारा उपनियम (3) के अधीन विवरणी उक्त नियम में उल्लिखित नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है वहां निर्धारिती प्रत्येक विवरणी के प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के खाते में अधिकतम बीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए प्रति दिन एक सौ रुपए की दर पर संगणित रकम जमा करेगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 18 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "निर्यात" शब्द से उसके व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पद सहित माल को भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है और उसमें माल का विदेशी पत्तन की ओर जाने वाले किसी पोत के फलक पर उपयोग के लिए या विदेश जाने वाले वायुयान को प्रदत्त रसद या भंडार का लदान शामिल है ।"

9. उक्त नियमों के नियम 22 में, उपनियम (2) और उपनियम (3) में "प्रत्येक निर्धारिती" शब्दों के पश्चात् "ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (1) में,--

(क) "भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) पूरी पंक्ति में,--

(i) "भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 19/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो सं. सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 8/2015–Central Excise (N.T.)

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely: –

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of March, 2015.

2. In the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, in sub-rule (4), for the words, brackets and figure "and the interest under sub-rule (3)", the words, brackets, figure and letter "and mentioned in the return filed under these rules, the interest under sub-rule (3) and the penalty under sub-rule 3(A)" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 10, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely: –

"(4) The records under this rule may be preserved in electronic form and every page of the record so preserved shall be authenticated by means of a digital signature.

(5) The Board may, by notification, specify the conditions, safeguards and procedure to be followed by an assessee preserving digitally signed records.

4. In the said rules, in rule 11, –

(a) in sub-rule (2), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided further that if goods are directly sent to a job worker on the direction of a manufacturer or the provider of output service, the invoice shall also contain the details of the manufacturer or the provider of output service, as the case may be, as buyer and contain the details of job worker as the consignee:

Provided also that if the goods are directly sent to any person on the direction of the registered dealer, the invoice shall also contain the details of the registered dealer as the buyer and the person as the consignee, and that person shall take CENVAT credit on the basis of the registered dealer's invoice:

Provided also that if the goods imported under the cover of a bill of entry are sent directly to buyer's premises, the invoice issued by the importer shall mention that goods are sent directly from the place or port of import to the buyer's premises.;

(b) in sub-rule (7), after the words "to goods supplied by", the words "an importer who issues an invoice on which CENVAT credit can be taken, or" shall be inserted;

(c) after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely: –

"(8) An invoice issued under this rule by a manufacturer may be authenticated by means of a digital signature:

Provided that where the duplicate copy of the invoice meant for transporter is digitally signed, a hard copy of the duplicate copy of the invoice meant for transporter and self attested by the manufacturer shall be used for transport of goods.

(9) The Board may, by notification, specify the conditions, safeguards and procedure to be followed by an assessee using digitally signed invoice.

*Explanation***.** – For the purposes of rule 11 and this rule, the expressions, "authenticate", "digital signature" and "electronic form" shall have the respective meanings as assigned to them in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

5. In the said rules, in rule 12, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(6) Where any return or Annual Financial Information Statement or Annual Installed Capacity Statement referred to in this rule is submitted by the assessee after due date as specified for every return or statements, the assessee shall pay to the credit of the Central Government, an amount calculated at the rate of one hundred rupees per day subject to a maximum of twenty thousand rupees for the period of delay in submission of each such return or statement.".

6. In the said rules, in rule 12CCC, –

(a) after the words "restrictions on a manufacturer,", the words "a registered importer," shall be inserted;

(b) after the words "suspension of registration in case of", the words "an importer or," shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 17, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(6) Where the return is submitted under sub-rule (3) by the assessee after the due date as mentioned in that sub-rule, the assessee shall pay to the credit of the Central Government, an amount calculated at the rate of one hundred rupees per day subject to a maximum of twenty thousand rupees for the period of delay in submission of each return.".

8. In the said rules, in rule 18, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:–

"*Explanation*. – For the purposes of this rule, "export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India and includes shipment of goods as provision or stores for use on board a ship proceeding to a foreign port or supplied to a foreign going aircraft.".

9. In the said rules, in rule 22, in sub-rules (2) and (3), after the words "Every assessee," , the words "an importer who issues an invoice on which CENVAT credit can be taken," shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 25, in sub-rule (1), –

(a) after the words "registered person of a warehouse," the words "or an importer who issues an invoice on which CENVAT credit can be taken," shall be inserted.

(b) in the long line, –

(i) after the words "registered person of the warehouse," the words "or an importer who issues an invoice on which CENVAT credit can be taken," shall be inserted;

(ii) for the words "two thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted with effect from the date on which the Finance Bill, 2015, receives the assent of the President.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note.- The principal rules were published *vide* notification number 04/2002- Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 143(E), dated the 1st March, 2002 and last amended by notification number 19/2014-Central Excise (NT), dated the 11th July, 2014, *vide* number G.S.R 454(E), dated the 11th July, 2014 .

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 9/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 154 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 3 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु ऐसी किसी विनिर्माता द्वारा, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनयम, 1944 की धारा 11क की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कारण बताओ सूचना जारी नहीं की गई है या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गगग या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 12कक्क के अनुसरण में जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, वचनपत्र देना पर्याप्त होगा ।"

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 34/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा सा.का.नि. 448(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 13/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 177(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 9/2015 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 154 (E) .— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise

(Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001, namely:–

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the 1st day of March, 2015.

2. In the said rules, in rule 3, after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that it shall be sufficient to provide a letter of undertaking by a manufacturer against whom no show cause notice has been issued under sub-sections (4) or (5) of section 11A of Central Excise Act, 1944 or where no action is proposed under any notification issued in pursuance of rule 12CCC of Central Excise Rules, 2002 or rule 12AAA of CENVAT Credit Rules, 2004.".

[F. No. 334/5/2015- TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 34/2001-Central Excise (N.T), dated the 21st June, 2001 *vide* number G.S.R. 448 (E), dated the 21st June, 2001 and were last amended *vide* notification No. 13/2012 - Central Excise (N.T), dated the 17th March, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 177 (E), dated the 17th March, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 10/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 155(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गगग और सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2014- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 मार्च, 2014 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 204(अ), तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में, --

(क) आरंभिक पैरा में "जहां कि कोई विनिर्माता" शब्दों के स्थान पर, "जहां कोई विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) पैरा 2 में,--

(i) उपपैरा (2) में "जहां पहले चरण" शब्दों के स्थान पर, "जहां कोई रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता पहले चरण" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपपैरा (3) में "उक्त डीलर" शब्दों के स्थान पर, "उक्त रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या डीलर" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उपपैरा (5) में "यदि कोई विनिर्माता" शब्दों के स्थान पर, "यदि कोई विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 204(अ) तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 10/2015 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 155(E).— In pursuance of rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002 and rule 12AAA of the CENVAT Credit Rules, 2004, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 16/2014-Central Excise (N.T.), dated the 21st March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 204(E), dated the 21st March, 2014, namely:-

1. In the said notification, -
 (a) in the opening paragraph, for the words "where a manufacturer,", the words "where a manufacturer, registered importer," shall be substituted;
 (b) in paragraph 2, —
 (i) in sub-paragraph (2), for the words "Where a first stage", the words "Where a registered importer, first stage" shall be substituted;
 (ii) in sub-paragraph (3), for the words "the said dealer", the words "the said registered importer or dealer" shall be substituted;
 (iii) in sub-paragraph (5), for the words "If a manufacturer,", the words "If a manufacturer, registered importer," shall be substituted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2015.

[F. No. 334/5/2015- TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 204(E) dated 21st March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 11/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 156(अ). —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23क के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवासी फर्म" को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों से,-

(क) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें भागीदार के रूप में कोई कंपनी न हो; या

(iii) एकल स्वामित्व ; या

(iv) एक व्यक्ति वाली कंपनी ।

(ख) (i) "एकल स्वामित्व" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो खुद को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के उप-खंड (क) में यथा परिभाषित किसी गतिविधि में संलग्न करता है।

(ii) "एक व्यक्ति वाली कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (62) में उसका है ।

(ग) "निवासी" जहां तक वह किसी निवासी फर्म को लागू होता है, का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (42) में है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू[

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 11/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (c) of section 23A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby specifies "resident firm" as class of persons for the purposes of the said sub-clause.

Explanation. - For the purposes of this notification,-

(a) "firm" shall have the meaning assigned to it in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) , and includes-

(i) the limited liability partnership as defined in clause (n) of sub-section (1) of the section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009); or

(ii) limited liability partnership which has no company as its partner; or

(iii) the sole proprietorship; or

(iv) One Person Company.

(b) (i) "sole proprietorship" means an individual who engages himself in an activity as defined in sub-clause (a) of section 23A of the Central Excise Act, 1944.

(ii) "One Person Company" means as defined in clause (62) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(c) "resident" shall have the meaning assigned to it in clause (42) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in so far as it applies to a resident firm.

[F. No. 334/5/2015-TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 3/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2012-सेवाकर, तारीख 29 जून, 2012 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 520(अ), तारीख 29 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित हुई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 3/2015-Service Tax

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42/2012-Service Tax, dated 29th June 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 520(E), dated 29th June, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 4/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 158(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 473(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ 2 में, "पत्तन या विमानपत्तन" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हें "पत्तन, विमानपत्तन या भू-सीमाशुल्क स्टेशन" शब्द रखे जाएंगे ।
2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगे ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 31/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का.नि. 473(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 4/2015-Service Tax

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R 473(E), dated the 20th June, 2012, namely:—

1. In the said notification, in the Table, against Sl. No. 1, in column (2), for the words "port or airport", at both the places where they occur, the words "port, airport or land customs station" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2015.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI**,** Under Secy**.**

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) by notification No. 31/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* G.S.R. 473 (E), dated the 20th June, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 5/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 159(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 में,--

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(कक) "समूह क" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वेब आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग का स्वामी है और उसका प्रबंधन करता है तथा उसके अनुप्रयोग और किसी सूचनायुक्ति के माध्यम से किसी संभावित ग्राहक को किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के साथ समूह क के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन जुड़ने में समर्थ बनाता है ;'

(ii) खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(खगक) "ब्रांड नाम या व्यापार नाम" से ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसे कि कोई खोजा गया शब्द या लेख या कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लोगो, लेबल, हस्ताक्षर जिसका उपयोग उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या ऐसे किया जाता है जिससे किसी

व्यापार के प्रक्रम में किसी सेवा और कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति की पहचान के प्रति किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना नाम या चिह्न का उपयोग कर रहा है, किसी संबंध को उपदर्शित किया जाए;'।

(iii) खंड (घ) में, उपखंड (i) में,--

(I) मद (कक) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'(ककक) किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रदान की गई सेवा या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई सेवा जिसमें कोई समूहक अन्तर्वलित है, सेवा का समूह क:

परन्तु यह कि यदि समूह क की कराधेय राज्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है तो किसी प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में समूह क का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि यदि समूहक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है और किसी भी प्रयोजन के लिए उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो समूह क सेवा कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।';

(II) मद (ङ) में, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "सहायता" शब्द का लोप किया जाएगा;

(III) मद (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें 1 अप्रैल, 2015 से अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"(ङङक) किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंधन कंपनी को उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत की गई सेवा के संबंध में, सेवा का प्राप्तिकर्ता ;

(ङङख) लाटरी टिकटों के विक्रय या लाटरी टिकटों के विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत की गई सेवा के संबंध में, सेवा का प्राप्तिकर्ता ;";

(ख) नियम 4 में,--

(i) उपनियम (1अ) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण ऐसी शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन होगा जो बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश द्वारा विहित किए जाएं ।"

(ग) उक्त नियमों में नियम 4आ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

"(4इ) अंकीय हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन,--

(1) नियम 4अ के अधीन जारी बीजक, बिल या चालान या नियम 4आ के अधीन जारी परेषण टिप्पण को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ।

(2) बोर्ड, अंकीय रूप से हस्ताक्षरित बीजक जारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण की जानी वाली शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(घ) नियम 5 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(4) इन नियम के अधीन अभिलेख इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखा जाए और इस प्रकार रक्षित अभिलेख के सभी पृष्ठ को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा निर्धारिती द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित अभिलेखों को रखने में अपनाई जाने वाली शर्तों, रक्षोपायों और प्रक्रिया का विनिर्देश कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के नियम 4 (ग) और उपनियम (4) और (5) प्रयोजनों के लिए,--

(i) "अधिप्रमाणित" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;

(ii) "अंकीय हस्ताक्षर" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है और "अंकीय हस्ताक्षरित" पद का तदनुसार अर्थ होगा ; ";

(ङ) नियम 6 में, --

(i) उपनियम (6क) का उस तारीख से, जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लोप किया जाएगा;

(ii) ऐसी तारीखों से जिनको केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,--

(क) उपनियम (7) में प्रविष्टि "0.6%" और "1.2%" के स्थान पर, क्रमशः "0.7%" और "1.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) उपनियम (7क) में, खंड (ii) में "3%" और "1.5%" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "3.5%" और "1.75%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ग) उपनियम (7ख) में,--

(i) मद (क) में, "0.12%" और "30 रूपए" प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "0.14%" और "35 रुपए" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) मद (ख) में, "120 और 0.06%" प्रविष्टि के स्थान पर, "140 और 0.07%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) मद (ग) में, "660 और 0.012%" तथा "6,000 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "770 और 0.014%" तथा "7,000 रु." प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(घ) उपनियम (7ग) में,--

(अ) सारणी में के स्तंभ (2) में,--

(i) क्रम सं. 1 के सामने, "7000" अंकों के स्थान पर "8200" अंक रखे जाएंगे;

(ii) क्रम सं. 2 के सामने, "11000" अंकों के स्थान पर, "12800" अंक रखे जाएंगे;

(आ) स्पष्टीकरण में, मद (i) का उस तारीख से, जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 334/5/2015-सेवाकर]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 2/1994-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 23/2014-सेवा कर, तारीख 5 दिसम्बर, 2014 द्वारा सा.का.नि. 872(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 5/2015-Service Tax

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of March, 2015.

2. In the Service Tax Rules, 1994,-

(a) in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(aa) "aggregator" means a person, who owns and manages a web based software application, and by means of the application and a communication device, enables a potential customer to connect with persons providing service of a particular kind under the brand name or trade name of the aggregator;';

(ii) after clause (bc), the following clause shall be inserted, namely:-

'(bca) "brand name or trade name" means, a brand name or a trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as an invented word or writing, or a symbol, monogram, logo, label, signature, which is used for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection, in the course of trade, between a service and some person using the name or mark with or without any indication of the identity of that person;';

(iii) in clause (d), in sub-clause (i),-

(I) after item (AA), the following item shall be inserted, namely:-

'(AAA) in relation to service provided or agreed to be provided by a person involving an aggregator in any manner, the aggregator of the service:

Provided that if the aggregator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing the aggregator for any purpose in the taxable territory shall be liable for paying service tax;

Provided further that if the aggregator does not have a physical presence or does not have a representative for any purpose in the taxable territory, the aggregator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying service tax and such person shall be liable for paying service tax.';

(II) in item (E), from such date as the Central Government may, by a notification in the Official Gazette, appoint, the word "support" shall be omitted;

(III) after item (EE), the following items shall be inserted with effect from the 1st day of April 2015, namely:-

"(EEA) in relation to service provided or agreed to be provided by a mutual fund agent or distributor to a mutual fund or asset management company, the recipient of the service;

(EEB) in relation to service provided or agreed to be provided by a selling or marketing agent of lottery tickets to a lottery distributor or selling agent, the recipient of the service;";

(b) in rule 4,-

(i) sub-rule (1A) shall be omitted.

(ii) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) The registration granted under this rule shall be subject to such conditions, safeguards and procedure as may be specified by an order issued by the Board.";

(c) after rule 4B, the following rule shall be inserted, namely:-

"4C. Authentication by digital signature-

(1) Any invoice, bill or challan issued under rule 4A or consignment note issued under rule 4B may be authenticated by means of a digital signature.

(2) The Board may, by notification, specify the conditions, safeguards and procedure to be followed by any person issuing digitally signed invoices.";

(d) in rule 5, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely,-

"(4) Records under this rule may be preserved in electronic form and every page of the record so preserved shall be authenticated by means of a digital signature.

(5) The Board may, by notification, specify the conditions, safeguards and procedure to be followed by an assessee preserving digitally signed records.

Explanation – For the purposes of rule 4C and sub-rule (4) and (5) of this rule,-

(i) The expression "authenticate" shall have the same meaning as assigned in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(ii) The expression "digital signature" shall have the meaning as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the expression "digitally signed" shall be construed accordingly."

(e) in rule 6,

(i) sub-rule (6A) shall be omitted, with effect from the date on which the Finance Bill, 2015, receives the assent of the President;

(ii) from such dates as the Central Government may, by a notification in the Official Gazette, appoint,-

(a) in sub-rule (7), for the figures "0.6%" and "1.2 %", the figures and words "0.7 per cent." and "1.4 per cent." shall respectively be substituted;

(b) in sub-rule (7A), in clause (ii), for the figures and words "3 per cent." and "1.5 per cent.", the figures and words "3.5 per cent." and "1.75 per cent." shall respectively be substituted;";

(c) in sub-rule (7B),-

(i) in item (a), for the figures and words "0.12 per cent" and "rupees 30", the figures and words "0.14 per cent" and "rupees 35" shall respectively be substituted;

(ii) in item (b), for the figures and words "120 and 0.06 per cent", the figures and words "140 and 0.07 per cent." shall be substituted;

(iii) in item (c), for the figures and words "660 and 0.012 per cent" and "rupees 6,000", the figures and words "770 and 0.014 per cent" and "rupees 7,000" shall respectively be substituted;

(d) in sub-rule (7C),-

(A) in the Table, in column (2),-

(i) against Sl. No. 1, for the figures "7000", the figures "8200" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 2, for the figures "11000", the figures "12800" shall be substituted;

(B) in the Explanation, item (i) shall be omitted, with effect from the date on which the Finance Bill, 2015, receives the assent of the President.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No. 23/2014-Service Tax, dated the 5th December, 2014 *vide* number G.S.R. 872(E), dated the 5th December, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 6/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 160(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना,--

(i) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः-

"2. (i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सक या परा-चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं;

(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, किसी एंबुलेंस में रोगियों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं;";

(ii) प्रविष्टि 12 में मद (क), मद (ग) और मद (च) का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 14 में, मद (क) में, "कोई विमानपत्तन, पत्तन या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"16. किसी कलाकार द्वारा (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर की किसी लोक या सांस्कृतिक कला विधा में प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, यदि ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक लाख रुपए से कम या उसके समतुल्य है : परन्तु ऐसे कलाकार द्वारा ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवा को यह छूट लागू नहीं होगी ।"

(v) प्रविष्टि 20 में मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः-

"(i) खाद्यान जिसके अन्तर्गत चावल और दालें, आटा, दूध और नमक भी है;";

(vi) प्रविष्टि 21 में मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः-

"(घ) खाद्यान जिसके अन्तर्गत चावल और दालें, आटा, दूध और नमक भी है;";

(vii) प्रविष्टि 26क में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना;";

(viii) प्रविष्टि 29 की मद (ग), मद (घ) और मद (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ix) प्रविष्टि 30 में, मद (ग) में, "कोई माल" शब्दों के स्थान पर, "कोई माल जिसमें मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लीकर को छोड़ कर कोई माल" शब्द ऐसी तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ;

(x) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा ;

(xi) प्रविष्टि 42 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"43. किसी सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा अपशिष्ट के उपचार के माध्यम से सेवाएं;

44. फलों और सब्जियों की पूर्व कंडिशनिंग, पूर्व प्रशीतन, पकाने, वैक्सिंग, खुदरा पैंकिंग, लेबल लगाने, जो फलों और सब्जियों में उक्त फलों या सब्जियों की अनिवार्य विशेषताओं में परिवर्तन/फेरफार नहीं करती हैं ;

45. किसी संग्राहलय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ आरक्षिती या किसी प्राणी उद्यान में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं ;

46. किसी प्रदर्शक द्वारा किसी मूवी के प्रदर्शन के माध्यम से किसी वितरक या व्यक्तियों के संगम जो ऐसे प्रदर्शक के उसके एक सदस्य के रूप में मिलकर बना है, प्रदान की जाने वाली सेवाएं;"

(xii) इस प्रकार अन्तःस्थापित प्रविष्टि 46 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"47. प्रवेशाधिकार के माध्यम से निम्नलिखित को सेवाएं,--

(i) सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, सर्कस, नृत्य या थियटर प्रदर्शन जिसके अन्तर्गत नाटक या बैले हैं का प्रदर्शन;

(ii) मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन;

(iii) संगीत समारोह, जलूस शोभा समारोह, पिजेंट, पुरस्कार समारोह, संगीत या किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद समारोह से भिन्न कोई खेलकूद समारोह जिसमें ऐसे प्रवेश के लिए प्रतिफल पांच सौ रूपए प्रति व्यक्ति तक है ।"।

2. उक्त अधिसूचना में, परिभाषाओं से संबंधित पैरा 2 में, --

(क) खंड (भक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(भकक) "राष्ट्रीय उद्यान" का वही अर्थ होगा जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (21) में है;"

(ख) खंड (यकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(यकख) "मान्यताप्राप्त खेलकूद समारोह" से कोई खेलकूद समारोह अभिप्रेत है, जो,--

(i) किसी मान्यताप्राप्त खेल निकाय द्वारा आयोजित किया गया है जहां भाग लेने वाले टीम या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ii) क्रम सं. 11 की प्रविष्टि के अधीन आते हैं ।"

(ग) खंड (यझ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातः-

"(यझ) "बाघ आरक्षिती" का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ङ) में है ;

(यञ) "व्यवसाय संघ" का वही अर्थ होगा जो उसका व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(यट) "वन्य जीव अभ्यरण्य " का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ;

(यठ) "वन्य प्राणी उद्यान " का वही अर्थ होगा जो उसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है ।"

3. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगा ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 598(अ) तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा, अधिसूचना सं. 17/2014-सेवा कर, तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 6/2015-Service Tax

G.S.R. 160(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012, namely:-

1. In the said notification,-

(i) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely,-

"2. (i) Health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics;

(ii) Services provided by way of transportation of a patient in an ambulance, other than those specified in (i) above;";

(ii) in entry 12, items (a), (c) and (f) shall be omitted;

(iii) in entry 14, in item (a), the words "an airport, port or" shall be omitted;

(iv) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:-

"16. Services by an artist by way of a performance in folk or classical art forms of (i) music, or (ii) dance, or (iii) theatre, if the consideration charged for such performance is not more than one lakh rupees:

Provided that the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador.";

(v) in entry 20, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

"(i) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice;*";*

(vi) in entry 21, for item (d), the following item shall be substituted, namely:-

"(d) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice;*";*

(vii) in entry 26A, after item (c), the following item shall be inserted, namely-

"(d) Varishtha Pension Bima Yojana;";

(viii) in entry 29, items (c), (d) and (e) shall be omitted;

(ix) in entry 30, in item (c), for the words "any goods", the words "any goods excluding alcoholic liquors for human consumption," shall be substituted with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

(x) entry 32 shall be omitted;

(xi) after entry 42, the following entries shall be inserted, namely,-

"43. Services by operator of Common Effluent Treatment Plant by way of treatment of effluent;

44. Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables*;*

45. Services by way of admission to a museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve or zoo;

46. Service provided by way of exhibition of movie by an exhibitor to the distributor or an association of persons consisting of the exhibitor as one of its members;";

(xii) after entry 46 so inserted, the following entry shall be inserted with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, namely:-

"47. Services by way of right to admission to,-

(i) exhibition of cinematographic film, circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;

(ii) recognised sporting event;

(iii) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event, where the consideration for admission is not more than Rs 500 per person.".

2. In the said notification, in paragraph 2 relating to Definitions,-

(a) after clause (xa), the following clause shall be inserted, namely:-

'(xaa) "national park' has the meaning assigned to it in the clause (21) of the section 2 of The *Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);';*

(b) after clause (zaa), the following clause shall be inserted with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, namely:-

'(zab) "recognised sporting event" means any sporting event,-

(i) organised by a recognised sports body where the participating team or individual represent any district, state, zone or country;

(ii) covered under entry 11.';

(c) for the clause (zi), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(zi) "tiger reserve" has the meaning assigned to it in clause (e) of section 38K of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zj) "trade union" has the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);

(zk) "wildlife sanctuary" means sanctuary as defined in the clause (26) of the section 2 of The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zl) "zoo" has the meaning assigned to it in the clause (39) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).'.

3. Save as otherwise provided in this notification, this notification shall come into force on the 1st of April, 2015.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI**,** Under Secy**.**

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, by notification No. 25/2012 -Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 17/2014 - Service Tax, dated the 20th August, 2014 vide number G.S.R. 598(E), dated the 20th August, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 7/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 161(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 472(अ), तारीख, 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में,--

(i) पैरा 1 के खंड (अ) में,--

(क) उपखंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(झख) किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति ;

(झग) किसी लाटरी टिकटों के किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति ;";

(ख) उपखंड (iv) के उपखंड (ग) में, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत की जाए, "समर्थन सेवाओं के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (v) के पश्चात् 1 मार्च, 2015 से निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत जिसमें किसी भी रीति में कोई समूहक अन्तर्वलित है; ";

(ii) पैरा 2 में, --

(अ) पैरा (II) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 मार्च, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"II. उस व्यक्ति द्वारा जो सेवा प्रदान करता है उस पर संदेय सेवा कर की सीमा और पैरा 1 में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं पर सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :--";

(आ) सारणी में,--

(i) स्तंभ (4), स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष 1 मार्च, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सेवा प्रदाता से भिन्न सेवाकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा संदेय सेवाकर की प्रतिशतता"

(ii) क्रम सं. 1अ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"1ख	किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सेवाओं के संबंध में सहमत ;	कुछ नहीं	100%
1ग	लाटरी टिकटों के किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सेवाओं के संबंध में सहमत ;	कुछ नहीं	100%";

(iii) क्रम सं0 8 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः "कुछ नहीं" और "100%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

(iv) क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 1 मार्च, 2015 से निम्नलिखित पंक्ति अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"11	किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए किसी सेवाओं के संबंध में सहमत जिसमें किसी रीति में कोई समूहक अंतर्वलित है	कुछ नहीं	100%";

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगी ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.472(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा सा.का.नि.479(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 7/2015-Service Tax

G.S.R. 161(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 472 (E), dated the 20th June, 2012, namely:—

1. In the said notification,-

(i) in paragraph I, in clause (A),-

(a) after sub-clause (ia), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(ib) provided or agreed to be provided by a mutual fund agent or distributor, to a mutual fund or asset management company";

"(ic) provided or agreed to be provided by a selling or marketing agent of lottery tickets to a lottery distributor or selling agent;";

(b) in sub-clause (iv), in item (C), with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, the words "by way of support services" shall be omitted;

(c) after the sub-clause (v), with effect from the 1st day of March, 2015, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(vi) provided or agreed to be provided by a person involving an aggregator in any manner;";

(ii) in paragraph (II),-

(A) for the portion beginning with brackets, letters and words "(II) The extent of service tax payable" and ending with words "namely:-", the following shall be substituted with effect from 1st March, 2015, namely:-

"II. The extent of service tax payable thereon by the person who provides the service and any other person liable for paying service tax for the taxable services specified in paragraph I shall be as specified in the following Table, namely:-";

(B) in the Table,-

(i) in column (4), for the column heading, the following column heading shall be substituted with effect from 1st March, 2015, namely:-

"Percentage of service tax payable by any person liable for paying service tax other than the service provider";

(ii) after Sl. No. 1A and the entries relating thereto, the following Sl Nos. and entries shall be inserted, namely:-

"1B.	in respect of services provided or agreed to be provided by a mutual fund agent or distributor, to a mutual fund or asset management company	Nil	100%
1C.	in respect of service provided or agreed to be provided by a selling or marketing agent of lottery tickets to a lottery distributor or selling agent	Nil	100%";

(iii) against Sl. No. 8, in column (3) and column (4), for the existing entries, the entries "Nil" and "100%" shall respectively be substituted;

(iv) after Sl. No. 10 and the entries relating thereto, with effect from 1st March, 2015, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

" 11.	in respect of any service provided or agreed to be provided by a person involving an aggregator in any manner	Nil	100%".

2. Save as otherwise provided, this notification shall come into force on the 1st day of April, 2015.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI**,** Under Secy**.**

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 30/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 472 (E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 10/2014-Service Tax, dated the 11th July, 2014 vide number G.S.R. 479(E), dated the 11th July, 2014 .

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 8/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 162(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 468(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया गया है" ;

(ii) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (4) में "कुछ नहीं" प्रविष्टि के स्थान पर, "यथोक्त" प्रविष्टि रखा जाएगी;

(iii) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"5	माल-असबाब सहित या उसके बिना वायुयान द्वारा, (i) इकॉनमी श्रेणी (ii) इकॉनमी श्रेणी से भिन्न, यात्रियों का परिवहन ।	 40 60	कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया गया है ।";

(iv) क्रम सं. 7 के सामने, स्तंभ (3) में, "25" प्रविष्टि के स्थान पर, "30" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 10 के सामने, स्तंभ (3) में, "40" प्रविष्टि के स्थान पर, "30" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 468(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 8/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो सा.का.नि. 477(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 8/2015-Service Tax

G.S.R. 162(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.26/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 468 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

1. In the said notification, in the Table,-

(i) against Sl. No. 2, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.";

*(*ii*)* against Sl. No. 3, in column (4), for the entry " Nil", the entry "Same as above" shall be substituted;

(iii) for Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings in		CENVAT credit on inputs and capital goods, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.”;
	(i) economy class	40	
	(ii) other than economy class	60	

(iv) against Sl. No. 7, in column (3), for the entry "25", the entry "30" shall be substituted;

(v) Sl. No. 8 and entries relating thereto shall be omitted;

(vi) against Sl. No. 10, in column (3), for the entry "40", the entry "30" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2015.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI**,** Under Secy**.**

Note:-The principal notification No. 26/2012 - Service Tax, dated 20th June, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 468 (E), dated the 20th June, 2012 and was last amended by notification No.08/2014-Service Tax, dated the 11th July, 2014 *vide* G.S.R. 477 (E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 9/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 163(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 96क के खंड (ख) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवासी फर्म" को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों से,-

(क) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें भागीदार के रूप में कोई कंपनी न हो; या

(iii) एकल स्वामित्व; या

(iv) एक व्यक्ति वाली कंपनी।

(ख) (i) "एकल स्वामित्व" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो खुद को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के उप-खंड (क) में यथा परिभाषित किसी गतिविधि में संलग्न करता है।

(ii) "एक व्यक्ति वाली कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (62) में उसका है।

(ग) "निवासी" जहां तक वह किसी निवासी फर्म को लागू होता है, का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (42) में है।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 9/2015-Service Tax

G.S.R. 163(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (b) of section 96A of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby specifies "resident firm" as class of persons for the purposes of the said sub-clause.

Explanation. - For the purposes of this notification,-

(a) "firm" shall have the meaning assigned to it in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) , and includes-

(i) the limited liability partnership as defined in clause (n) of sub-section (1) of the section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009); or

(ii) limited liability partnership which has no company as its partner; or

(iii) the sole proprietorship; or

(iv) One Person Company.

(b) (i) "sole proprietorship" means an individual who engages himself in an activity as defined in sub-clause (a) of section 96A of the Finance Act, 1994.

(ii) "One Person Company" means as defined in clause (62) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(c) "resident" shall have the meaning assigned to it in clause (42) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in so far as it applies to a resident firm.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 1/2015-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 164(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 83 के अधीन स्वच्छ उर्जा उपकर को उग्रहणीय सभी मालों पर, उक्त वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची के अधीन उस पर उग्रहणीय उतने उपकर से, जितना 200 रुपये प्रति टन की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 1/2015-Clean Energy Cess

G.S.R. 164(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010) read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods leviable to the Clean Energy Cess under section 83 of the said Finance Act, from so much of the Clean Energy Cess leviable thereon under the Tenth Schedule to the said Finance Act, 2010, as is in excess of the amount calculated at the rate of Rs. 200 per tonne.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2015

सं. 1/2015- औ.और प्र.नि.

सा.का.नि. 165(अ).—केंद्रीय सरकार, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) नियम, 1956 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2003-औ.और प्र.नि., तारीख 1 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में, "बारह प्रतिशत मूल्यानुसार," प्रविष्टि के स्थान पर, जहां-जहां वह आती है, "साढे बारह प्रतिशत मूल्यानुसार," प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/5/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं. 1/2012--औ.और प्र.नि., तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि 214(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2015

No. 1/2015- M & TP

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue), No. 2/2003-M&TP, dated the 1st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 159 (E), dated the 1st March, 2003, namely:-

In the said notification, in the Table, in column (4), for the entry "Twelve per cent. *ad valorem*", wherever it occurs, the entry "Twelve and half per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

[F. No. 334 /5/ 2015-TRU]

AKSHAY JOSHI**,** Under Secy**.**

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R.159(E), dated the 1st March, 2003, and was last amended by notification No. 1/2012- M&TP, dated the 17th March, 2012, published *vide* number G.S.R. 214 (E), dated the 17th March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.